न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मऊ।

उपस्थितः–संजय कुमार यादव–।।। (एच.जे.एस.)

जे.ओ.कोड–यू.पी. 2023

<u>सत्र परीक्षण सं. 237/2014</u>

1.
UPMA010001652014

राज्य ————————— बनाम ———————— प्रदीप चौहान आदि।

मु.अ.सं. 798/2013
अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 120बी, 302, 504, 506 भा.दं.सं.।
थाना घोसी, जनपद मऊ।

एवं

UPMA010002282014

<u>सत्र परीक्षण सं. 238/2014</u>

राज्य —————————— बनाम ———————— प्रदीप चौहान।

मु.अ.सं. 801/2013
अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना घोसी, जनपद मऊ।

एवं

UPMA010004882014

<u>सत्र परीक्षण सं. 239/2014</u>

राज्य —————————— बनाम ——————— धनेश उर्फ मैनू यादव।

मु.अ.सं. 802/2013
अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना घोसी, जनपद मऊ।

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.08.05 11:22:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता :	1. श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मऊ। 2. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण अधिवक्ता	1– श्री स्वामीनाथ यादव 2– श्री परमहंस यादव 3– श्री फतेहबहादुर सिंह 4– श्री मनोज पाण्डेय
घायल/मृतक का नाम	फिरोज अहमद
घटना का दिनांक व समय	20.12.2013, समय 07:30 बजे सायँ
वाद दाखिला का दिनांक/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक व समय	1. 20.12.2013 को समय रात 09:15 बजे 2. 25.12.2013 को दोपहर 13:15 बजे
अभियुक्त के गिरफ्तारी का दिनांक	26.12.2013
सत्र सुपुर्दगी का दिनांक	20.11.2014
आरोप विरचित होने का दिनांक	23.02.2015
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	10.01.2018
अभियुक्त का बयान अंकित होने का दिनांक	14.08.2025
बचाव साक्ष्य का दिनांक	——
न्यायालय साक्ष्य का दिनांक	——
बहस का दिनांक	20.07.2026
निर्णय का दिनांक	25.07.2026
अभियुक्तगण का विवरण (नाम, पता ,उम्र, पेशा, शिक्षा आदि)	**1.** प्रदीप चौहान पुत्र इन्द्र बहादुर चौहान, साकिन ठकुरमनपुर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ। **2.** धनेश उर्फ मैनू यादव पुत्र दुखन्ती उर्फ शोभा, साकिन अरैला, थाना रानीपुर, जनपद मऊ। **3.** राजेश यादव पुत्र जयराम यादव, साकिन भटकुऑ पट्टी, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ। **4.** मनीष पाण्डेय पुत्र जनार्दन पाण्डेय साकिन भटकुऑ पट्टी, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ **5.** पिन्टू यादव पुत्र रमाशंकर यादव, साकिन बरलाई, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ। **(मृतक)**

<u>अभियोजन/बचाव/ न्यायालय के गवाहों की सूची</u>

1– अभियोजन पक्ष के साक्षी

अभियोजन साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या 01	शब्बीर अहमद	वादी मुकदमा
अभियोजन साक्षी संख्या 02	आसिफ	तथ्य का साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 03	इजाजत हुसैन	तथ्य का साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 04	सर्वजीत गुप्ता	तथ्य का साक्षी

अभियोजन साक्षी संख्या 05	सेवानिवृत्त निरीक्षक हवलदार सिंह	विवेचक
अभियोजन साक्षी संख्या 06	एस.आई. विजय कुमार झा	औपचारिक साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 07	डॉ0 अरूण कुमार पाण्डेय	पोस्टमार्टम रिपोर्ट का साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 08	छोटेलाल (सेवानिवृत्त एस. आई.)	प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. का साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 09	परमहंस पासवान (सेवानिवृत्त हेड कॉ0)	प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. का साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 10	हेड कॉ0 मधुकर पाण्डेय	द्वितीय साक्षी।

2– बचाव पक्ष के साक्षी

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	——	——

3– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
——	——

<u>अभियोजन /बचाव /न्यायालय के प्रदर्शो की सूची</u>

1–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	क–1	लिखित तहरीर
2	क–2	पंचायतनामा
3	क–3	नक्शा नजरी
4	क–4	खून आलूदा मिटटी
5	क–5	सादी मिटटी
6	क–6	गिरफ्तारी प्रपत्र
7	क–7	बरामदगी का नक्शा नजरी
8	क–8	आरोप पत्र
9	क–9	फर्द
10	क–10	पंचनामा
11	क–11	पुलिस प्रपत्र सं. 13
12	क–12	फोटो नाश
13	क–13	पत्र आर.आई.
14.	क–14	मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
15.	क–15	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
16.	क–16	कायमी जी.डी.
17.	क–17	मु.अ.सं. 802/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट
18.	क–18	मु.अ.सं. 802/2013 की जी.डी.

19.	क–19	सत्र परीक्षण सं. 238/2014 की नक्शा नजरी
20.	क–20	सत्र परीक्षण सं. 238/2014 का आरोप पत्र
21.	क–21	सत्र परीक्षण सं. 239/2014 की नक्शा नजरी
22.	क–22	सत्र परीक्षण सं. 239/2014 की आरोप पत्र

2– बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

3– न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

4– वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	वस्तु प्रदर्श–1 ता 3	मृतक के शरीर से पायी गयी तीन बुलेट
2	वस्तु प्रदर्श–4	पेटली
3	वस्तु प्रदर्श–3	बरामदशुदा दो जिंदा कारतूस
4	वस्तु प्रदर्श–5 ता 12	खोखा कारतूस
5	वस्तु प्रदर्श–12 व 14	बरामदशुदा पिस्टल व कट्टा
6	वस्तु प्रदर्श–14 व 15	मृतक के कपड़े

निर्णय

1. अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव का विचारण थाना घोसी, जिला मऊ की पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध विवेचना उपरांत प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120बी, 504, 506 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आधार पर इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2. दौरान विचारण अभियुक्त **पिन्टू यादव की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध मुकदमा आदेश दिनांक 09.05.2022 को उपशमित किया गया है।** इस निर्णय के द्वारा अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय के मामले का विचारण किया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पुत्र स्व. लाल मुहम्मद, ग्राम व पोस्ट मझवारा, थाना घोसी, जनपद मऊ ने लिखित तहरीर दिनांकित 20.12.2013 प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी, जिला मऊ को इस आशय का दिया है कि उसका भाई फिरोज मुर्गे व दाना का कारोबार करता है। दिनांक 20.12.2013 को समय करीब 07:30 बजे शाम को वह और उसके बड़े भाई फिरोज व भांजा आसिफ अपने पोल्ट्री फार्म पर मौजूद थे कि उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति ने आवाज देकर उसके भाई को बुलाया, उसका भाई फिरोज तुरन्त उसके पास पहुंचा कि उक्त अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई को एकाएक गोलियों से सिर में मार दिया, जिससे उसका भाई गिर गया। वादी व उसका भांजा दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों हमलावरो ने अपने हाथ में लिए हुए असलहे को लहराते हुए उन

लोगों को भी जान से मारने की धमकियॉ व गालियॉ देते हुए पीछे मुड़कर भागे, जिसको वह तथा उसका भांजा टार्च की रोशनी मे देखे व शोर मचाया, परन्तु उक्त दोनों हमलावर मौके से भाग गये। शोर पर अगल–बगल के तमाम लोग मौके पर आ गये, वह तुरन्त लोगों की मदद से अपने घायल भाई फिरोज को इलाज हेतु जिला अस्पताल मऊ ले गया, परन्तु रास्ते में ही उसके भाई की मृत्यु हो गयी। डॉक्टर ने भी मृत्यु घोषित कर दिया। उसके भाई की लाश जिला अस्पताल के घर में रखी है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. वादी मुकदमा शब्बीर अहमद ने घटना की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 थाना घोसी, जनपद मऊ में थानाध्यक्ष घोसी, को दिया, जिसके आधार पर थाना घोसी में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–15 पंजीकृत किया गया और कायमी मुकदमा का इन्द्राज थाने की जी.डी. प्रदर्श क–16 में किया गया।

5. इसके बाद विवेचनाधिकारी ने मामले की विवेचना प्रारम्भ किया और मौके का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 तैयार किया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना मौके से फर्द लेने कब्जा खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद मिस कारतूस क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 तैयार किया तथा अभियुक्तगण का गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–6 तैयार किया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 120बी, 302, 504 व 506 भा.दं.सं. प्रदर्श क–8 न्यायालय में प्रेषित किया गया। दौरान विवेचना विवचेनाधिकारी द्वारा अभियुक्त प्रदीप चौहान की निशानदेही पर एक अदद पिस्टल मय मैगजीन व दो अदद जिंदा कारतूस तथा एक अदद तमंचा व दो अदद जिंदा कारतूस की फर्द प्रदर्श क–9 तैयार किया गया और मृतक के शव को सील मुहर करके नमुना मुहर तैयार किया और मृतक के शव का शव विच्छेदन कराने हेतु जिला अस्पताल मऊ भेजा। जहॉ पर जिला अस्पताल मऊ के डॉक्टर अरूण कुमार पाण्डेय द्वारा उक्त शव का शव विच्छेदन किया गया और उसकी शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–14 तैयार कर प्रेषित किया गया। एस.आई. विजय कुमार झा द्वारा मृतक के शव के पंचनामे की कार्यवाही संपादित करते हुए पंचनामा प्रदर्श क–10, पुलिस प्रपत्र सं. 13 प्रदर्श क–11, फोटोनाश प्रदर्श क–12 व पत्र आर.आई. प्रदर्श क–13 तैयार किया गया। हेड कॉ0 परमहंस पासवान द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर मु.अ.सं. 801/2013 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा मु.अ.सं. 802/2013 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–17 व कायमी जी.डी. प्रदर्श क–18 तैयार की गयी। हेड कॉ0 मधुकर पाण्डेय जो द्वितीयक साक्षी है, के द्वारा सत्र परीक्षण सं. 238/2014 की नक्शा नजरी प्रदर्श क–19 व आरोप पत्र प्रदर्श क–20 तथा सत्र परीक्षण सं. 239/2014 की नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 व आरोप पत्र प्रदर्श क–22 को साबित किया गया है।

6. आरोप–पत्र प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–20 एवं प्रदर्श क–21 पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 20.11.2014 को अभियुक्तगण के मामले की पत्रावली को माननीय सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

7. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 148, 148, 504, 506 तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीषण पाण्डेय के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 147, 302/149 व 120बी के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं. 1 वादी मुकदमा शब्बीर अहमद, अभियोजन साक्षी सं. 2 आसिफ, अभियोजन साक्षी सं. 3 इजाजत हुसैन, अभियोजन साक्षी सं. 4 सर्वजीत गुप्ता, अभियोजन साक्षी सं. 5 विवेचक/निरीक्षक हवलदार सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 6 एस. आई. विजय कुमार झा, अभियोजन साक्षी सं. 7 डॉक्टर अरूण कुमार पाण्डेय, अभियोजन साक्षी सं. 8 छोटेलाल (सेवानिवृत्त एस.आई.), अभियोजन साक्षी सं. 9 परमहंस पासवान (सेवानिवृत्त हेड कॉ0) एवं अभियोज साक्षी सं. 10 हेड कॉ0 मधुकर पाण्डेय को न्यायालय में प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लिखा गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत होना, अभियोजन साक्षी सं. 1, 2, 3 व 4 द्वारा झूठा साक्ष्य दिया जाना, अभियोजन साक्षी सं. 5 द्वारा गलत विवेचना किया जाना तथा गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना, अभियोजन साक्षी सं. 6, 7, 8, 9 एवं 10 द्वारा गलत बयान दिया जाना, स्वयं को निर्दोष व गलत फॅसाया जाना बताया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों का सारांश निम्नवत है –

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं.1 वादी मुकदमा शब्बीर अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 10.01.2018 को सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 20.12.2013 को समय करीब 07:30 बजे रात में वह और उसके बड़े भाई फिरोज व उसका भांजा आसिफ अपने पोल्ट्री फार्म पर मौजूद थे। इन लोगों के मुर्गी फार्म से मुर्गी दाना व दवाई आदि का कार्य चलता है। क्षेत्र के तमाम मुर्गी फार्म के मालिकों का उधार लेन–देन चलता है। प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म पहले से लखनी मुबारकपुर में था, जिससे काफी पैसों का लेन–देन चलता था। इसकी मुर्गी फार्म कुछ दिन पहले जल गया था। उसके पास इसके भाई फिरोज अहमद का करीब डेढ़ पौने दो लाख रूपया बाकी था। करीब 6 माह पहले लखनी मुबारकपुर में प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म जल गया था, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ था। प्रदीप चौहान अपने गॉव ठकुरमनपुर में पुनः मुर्गीफार्म खोला। अपने मुर्गी फार्म को चलाने के लिए प्रदीप चौहान ने काफी रो–गिड़गिड़ाकर उसके भाई फिरोज से काफी पैसों का मुर्गी चूजा व दवाई उधार ले गया। प्रदीप चौहान पर उसके भाई फिरोज का करीब साढे तीन लाख रूपया उधार हो गया था, उसकी नियत पैसा देने की नहीं थी, जिसके कारण प्रदीप ने अपने साथियों के साथ दिनांक 20.12.2013 को उसके भाई फिरोज के ऊपर समय करीब 07:30 बजे सायं एकाएक गोलियों से सिर में मार दिये, जिससे उसका भाई गिर गया। वह तथा उसका भांजा मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो हमलावर हाथ में लिए हुए असलहे को लहराते हुए इन लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए व गालियॉ देते हुए पीछे भागे, जिनको वह और उसका भांजा आसिफ टार्च की रोशनी में देखा व पहचाना। इन लोगों के शोर पर अगल बगल के तमाम लोग आ गये। तुरंत लोगों की मदद से अपने भाई फिरोज को इलाज हेतु जिला अस्पताल मऊ ले गया, परन्तु रास्ते में ही उसके भाई की मृत्यु हो गयी। डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। उसके भाई की लाश जिला अस्पताल में रखी हुई है। इस घटना की सूचना उसने 20.12.2013 को तहरीर लिखकर थाने दिया, जिसके आधार पर एफ.आई.आर. लिखी गयी। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज सं. 5क दिखाया गया तो गवाह ने बताया कि यह तहरीर उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसने उसको तस्दीक करते हुए प्रदर्श क–1 से साबित किया। उसके भाई फिरोज की लाश का पंचायतनामा दरोगा जी ने उसके सामने तैयार किया था। जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया, जिसको उसने तस्दीक किया। साक्षी को पंचायतनामा कागज सं. 13क1 दिखाया गया, तो साक्षी ने बताया कि पंचायतनामा उसके सामने तैयार किया गया था, जिस पर

उसका हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मुल्जिमानों को सामने आने पर वह पहचान सकता है। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसने विवेचक को घटनास्थल दिखाया था। इस घटना के मुल्जिमानों को वह पहचानता है, उनके नाम क्रमशः प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू, एक दो लोग और है, मनीष पाण्डे, राजेश यही लोग है। आज न्यायालय में मुल्जिम प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू, मनीष पाण्डे एवं राजेश यही लोग उपस्थित है, वह इतने लोगों को ही जानता है।

इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना की सूचना मैनें थाने पर दिया था। थाने पर मैं नौ बजकर पन्द्रह मिनट पर पहुॅचा और साढ़े सात बजे की घटना है। घटना के समय मै फार्म पर ही मौजूद था। मैनें ही घटना के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। मैनें रिपोर्ट स्वयं लिखी थी। उसमें घटना के सम्बन्ध में लिखी बातें सही हैं तथा वही बयान दरोगाजी को घटना के सम्बन्ध में दिया था। इसके अलावा मैनें और कहीं कोई बयान नहीं दिया था। मै ही घायल को लेकर अस्पताल गया था। मेरे साथ मेरा भांजा आसिफ, मेरी भाभी नूरजहॉ थी। हम रात्रि लगभग 9.15 बजे अस्पताल पहुॅचे, पूनः कहा लगभग 08.30 बजे पहुॅचे थे। वहॉ डॉक्टर ने देखते ही मृतक घोषित कर दिया। मृतक फिरोज को सिर में दो चोटें लगी थीं। हम लाश को अस्पताल में छोड़कर थाने चले गये थे। थाने पर मै, मेरा भांजा व अन्य दो–तीन लोग गये थे। मै उन दो–तीन लोगों के नाम अब नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं है। वह तहरीर मैनें थाने पर जाकर लिखी थी। थाने रात्रि 09.15 बजे पहुॅचे थे। तारीख 20.12.2013 थी। फिरोज़ को चाचा की मारूति से अस्पताल लेकर गये थे। उसी गाड़ी से थाने पर गये थे। फिरोज़ के पास भाभी व गॉव के दो–चार लोग थे। हड़बड़ाहट में अब उनके नाम याद नहीं है। उसी दिन दरोगाजी ने मेरा बयान नहीं लिया था। जिस दिन एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। घटना के एक दिन बाद बयान लिया था। मैनें अपने बयानों में दरोगाजी को दो अज्ञात लोगों का हुलिया, मोटर साइकिल की पहचान बताई थी। यदि दरोगा जी ने मेरे बयानों में यह सब नहीं लिखा तो मै वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैनें घटना स्वयं नहीं देखी। यह कहना गलत है कि मै सलाह–मशविरा से कथित लोगों के नाम अभियुक्त के तौर पर गलत लिया है। यह मेरी तहरीर में है कि भागते हुये अभियुक्तों को टार्च की रोशनी में देखा और पहचाना था। यह बात मैनें दरोगाजी को भी बताई थी। यदि ये बातें दरोगाजी ने नहीं लिखी तो मै वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आज न्यायालय में उपस्थित किसी भी अभियुक्त का नाम मेरी तहरीर में नहीं है। मैनें इनके नाम अपने बयान में दरोगाजी को बताये थे। मैनें प्रदीप चौहान का नाम बताया था। यदि उन्होनें मेरे बयान में प्रदीप चौहान का नाम नहीं लिखा है तो मै वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैनें वकील के सिखाने व बताने पर न्यायालय में पहली बार प्रदीप का नाम बताया हो। यह भी कहना गलत है कि वकील के सिखाने से ही मैनें अन्य मुल्जिमान का नाम भी मुख्य परीक्षा में झूठा लिया है। यह कहना गलत है कि हमारे एवं पुलिस वालों राय–मशविरा से मुल्जिमान का नाम झूठा गढ़ा गया। दरोगाजी घटनास्थल पर गये थे, दूसरे दिन गये थे। मुर्गी फार्म के उत्तर तरफ मेरा मकान है। मै मृतक का भाई हूॅ। मै और मेरा भाई (मृतक) घटना के समय साथ–साथ मुर्गी फार्म पर बैठे थे। हम लोग पूरब ओर फार्म में बने आफिस में बैठे थे। घटना के समय रात नहीं हुई थी, शाम थी अंधेरा था। चन्द्रमा नहीं हुआ था। सौ कदम तक का ही आदमी दिख रहा था। बदमाश के आने की दिशा हमने नहीं देखी थी। हमारे बैठने के स्थान से उत्तर ओर से बदमाशों ने मेरे भाई 'मृतक' को बुलाया था। मैनें दरोगाजी को घटनास्थल दिखाया था। मैनें यह बात दरोगाजी को बताई थी कि मृल्जिमान ने जहॉ से मेरे भाई 'मृतक' को बुलाया था। जहॉ हम बैठे थे और जहॉ से मुल्जिमान ने मेरे भाई को बुलाया था वहॉ स्थान से 15 फिट

की दूरी थी। यह कहना गलत है कि जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मै बैठा हुआ नहीं था। अपने भाई के साथ ही दरवाजे पर गया था। भाई थोड़ा आगे थे। मेरे भाई मुझसे दस कदम उत्तर दिशा की ओर थे। वहीं मुल्जिमान ने उनहें गोली मारी थी। दो गोली मारी थी। गोलियॉ सर पर दो अंगुल की दूरी से मारी थी। जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मेरे भाई मुल्जिमान से पश्चिम की ओर खड़े थे। मै दरोगाजी को वह स्थान बताया था जहॉ से मुल्जिमान ने गोली मारी थी। मैनें दरोगाजी को वह स्थान भी बता दिया जहॉ मेरे भाई खड़े थे जब उन्हें गोली मारी गई। दरोगाजी ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद थाना घोसी पर उनकी शिनाख्त कराई थी। यह कहना गलत है कि मैनें अपने भाई को गोली मारते नहीं देखा है। यह भी कहना गलत है कि मै झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 29.08.2018 को सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 20.12.2013 को समय 07:30 बजे शाम की है। वह व उसके मामा फिरोज व शब्बीर मझवारा में अपने मुर्गी फार्म पर मौजूद थे। मुर्गी फार्म उसके फिरोज मामा का था। वह मुर्गी फार्म पर मुर्गियों का दाना पानी तथा उनकी देख रेख करता था। इसके लिए उसके मामा उसे 3000/–रूपये मासिक खर्च तथा 10–20 रूपये रोज चाय पानी का खर्च देते थे। घटना के दिन करीब 07:30 बजे शाम को मुर्गी फार्म के गेट के बाहर से किसी ने उसके मामा फिरोज को बुलाया। उसके मामा फिरोज गेट के बाहर गये तब तक गोली की आवाज सुनाई दी, तब गोली की आवाज पर वह तथा उसके मामा शब्बीर बाहर गये तो देखे कि दो व्यक्ति प्रदीप चौहान व धनेश को देखा। धनेश कटटा लिए हुए थे और प्रदीप पिस्टल लिये थे। ये लोग उसके मामा को गोली से मारे थे, गोली उसके मामा के सिर पर लगी थी, इन लोगों के शोर पर मुल्जिम प्रदीप मॉ बहन की भददी–भददी गाली देते हुए कहा कि अगर किसी को बताये तो तुम्हे भी मार देंगे। प्रदीप चौहान का लखनी में मुर्गी फार्म था। वहॉ पर वहॉ पर मुर्गियों का दाना और मुर्गी के बच्चे उसके मामा फिरोज देते थे। प्रदीप चौहान के मुर्गी के फार्म पर आग लग गया, सारी मुर्गियॉ मर गयी, तब उसने दूसरा मुर्गी फार्म अपने गॉव पर खोला था और उसके मामा से मुर्गी, दाना व मुर्गियों के बच्चे ले लाते थे, जिसका पैसा बाकी था। पैसे रूपये के बकाया को लेकर प्रदीप और उसके मामा से कहासुनी होती थी। इसी रूपये के लेन–देन को लेकर प्रदीप चौहान अपने साथी धनेश के साथ मिलकर उसके मामा फिरोज को गोली मरकर हत्या कर दी। प्रदीप उसके मामा फिरोज के पास फोन भी करता था। वह तथा उसके शब्बीर मामा फिरोज को घायल अवस्था में सदर अस्पताल मऊ ले गये थे तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि उनकी मृत्यु हो गयी है। थाने पर रपट शब्बीर मामा ने लिखवाया था। घटना कारित करने के उपरांत मुल्जिमान उत्तर दिशा में खेत से होते हुए भाग गये थे। दरोगा जी ने उससे पूछताछ किया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मै अपने मामा के यहॉ 4 साल से नौकरी करता हूॅ। मेरे मामा का मुर्गी फार्म अभी चल रहा है। उसी मुर्गी फार्म पर मै अब भी काम कर रहा हूॅ। अब हमारे मुर्गी फार्म से दाना और मुर्गी की सप्लाई कम होती है। मैनें जिन दो अभियुक्तों प्रदीप चौहान और धनेश उर्फ मैनू का नाम बताया है उसके अलावा मेरी जानकारी में कोई अन्य अभियुक्त नहीं है। घटना के बाद मै वहॉ से लगातार थाने तक शब्बीर के साथ रहा। शब्बीर मेरे मामा हैं। साथ मे थाने तक जाने में घटना के बारे में तथा मुल्जिमानों के बारे में शब्बीर से मेरी बात–चीत होती रही। दरोगाजी ने मुझसे घटना के बारे में घटना के दिन ही पूछा था। दरोगाजी ने मेरा बयान घटना के तीन

दिन बाद लिया था। पहले दिन मैनें दरोगाजी को किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था मै डरा हुआ था। मैनें घटना कारित करने वालों में दरोगाजी को दो अभियुक्तों का बताया था उनके नाम प्रदीप चौहान व धनेश उर्फ मैनू था। मै इसकी वजह नहीं बता सकता कि दरोगाजी ने मेरे बयान में धनेश उर्फ मैनू का नाम क्यों नहीं लिखा। प्रदीप को चेहरे से पहचानने की बात मैनें दरोगाजी को बतायी थी, अगर उन्होनें मेरे बयान में यह बात नहीं लिखी तो मै इसकी वजह नहीं बता सकता। मैनें ऐसा बयान दरोगाजी को नहीं दिया था कि एक मुल्जिम की आवाज़ और चाल मुझे प्रदीप जैसी लग रही थी, यदि उन्होनें मेरे बयान में मेरा ऐसा बयान लिखा है तो मै वजह नहीं बता सकता। घटना में मुझे तीन फायर की आवाज सुनाई दी थी। मुल्जिमान फायर करते समय मुझसे पश्चिम दिशा में थे। मैनें दरोगाजी को बताया था कि मैनें मुल्जिमों को अपने मामा को मारते देखा था। यदि दरोगाजी ने मेरे बयान में ऐसा बयान नहीं लिखा हो तो इसकी वजह मै नहीं बता सकता। मैनें दरोगाजी को ये बयान नहीं दिया था कि मैनें केवल तीन फायर की आवाज सुनी थी, यदि दरोगजी ने ऐसा बयान लिखा है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। मृतक मेरा मामा था। मैनें अपने मामा को उठाकर अपनी मारूति में लादा था। मेरे मामा का खून मेरे कपड़ों में उठाते समय लगा था। मामा को उठाते समय मै हाथ नही लगाया था। मेरी मारूति में सीट पर खून लगा था। मारूति अस्पताल से थाने में गयी थी। मेरी मारूति थाने में 09.15 मिनट रात में पहुॅची थी। मेरा रहायसी गॉव अदरी में है। मामा का गॉव मझवारा है। दोनों गॉवों के बीच 15 किमी0 की दूरी होगी। यह कहना गलत है कि घटना की रात मै अदरी में था। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। भान्जा होने के नाते मै झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 3 इजाजत हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 07.09.2019 को सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 20.12.2013 समय शाम 07:30 बजे की है। उसके भाई फिरोज अहमद (मृतक) घटना के बहुत पहले से मुर्गी फार्म चलाते थे। जिसमें मुर्गी, मुर्गे, मुर्गी के बच्चे तथा मुर्गी फार्म से संबंधित दवाईयॉ व दाना बेचने का धंधा करते थे। वह भी अपने भाई के मुर्गी फार्म पर आता जाता व साथ में उनके कार्यो में हाथ बंटाता था। अभियुक्त प्रदीप चौहान को वह घटना से पहले जानता पहचानता था। अभियुक्त प्रदीप चौहान भी मुर्गी फार्म चलाता था व उसके भाई के फार्म हाउस से मुर्गी के बच्चे व दवाईयॉ तथा दाना उधार व नगद ले जाता था। जिसका लेखा जोखा उसके भाई अपने रोकड़ वहीं में लिखते पढते थे। प्रदीप चौहान लखनी का रहने वाला है। रोकड़ वही के पेज सं. 106 व 107 पर उसके द्वारा उधार ले जाने के संबंध में पैसे के लेन–देन का उल्लेख उसके भाई ने किया था। उस डायरी में अभियुक्त प्रदीप चौहान पर एक लाख पिच्यान्वे हजार छः सौ रूपया उसके भाई फिरोज द्वारा बाकी लिखा गया था। इस रोकड वही में 23.05.2013 तक का हिसाब उसके भाई फिरोज द्वारा अंकित है। इसके अलावा अन्य लेन–देन दूसरे वही में अंकित है। दूसरी रोकड़ वही जो दिनांक 12.10.2012 से शुरू है, के पृष्ठ सं. 176 पर पीछे वाला व दिनांक 10.12.2013 तक का कुल हिसाब प्रदीप चौहान के यहॉ कुल बकाया आठ लाख, ग्यारह हजार, सात सौ पंचानवे रूपया बकाया है। घटना के दो तीन दिन पहले इसी पैसे के लेन देन को लेकर प्रदीप व उनके गोल वाले धनेश, राजेश, मनीष पाण्डेय व पिन्टू से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये लोग देख लेने की धमकी दिये थे। आज न्यायालय में अपने भाई फिरोज के हस्तलेख की मूल रोकड़ वही लाया है। मूल की फोटो प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित आज न्यायालय में दाखिल किया है, जो मूल से मिलान करने पर अक्षरशः सही है, जो कागज सं. 71ख1 लगायत 71ख4 है, में अपने भाई के

हस्तलेख की शिनाख्त की है। जो उसके भाई ने हत्या होने के पहले उधार लेने देने के क्रम को अपने हाथों से अंकित किया था, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मेरा बयान दरोगाजी ने लिया था। मैनें इनको अपना रोकड़ बही दिखाया था। मैनें कोई घटना होते हुये अपने ऑखों से नहीं देखा था। मैनें दरोगाजी को यह बात बताया था कि घटना के दो–तीन दिन पहले प्रदीप चौहान व उसके गोल के लोगों द्वारा भाई/मृतक के लेन–देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें इन लोगों ने देख लेने की धमकी दिये थे। दरोगाजी ने यह बात मेरे बयान में नहीं लिखा है तो मै इसका कोई कारण नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मै मुकदमें में बल देने के लिये सलाह–मशविरा के बाद प्रदीप चौहान आदि की बात पहली बार अदालत के समक्ष बयान दिया हूॅ। यह भी कहना गलत है कि प्रदीप चौहान आदि से मेरे भाई मृतक फिरोज़ का कोई विवाद नहीं हुआ था। यह भी कहना गलत है कि झूठे कथनों के आधार पर बयान दर्ज कराया हूॅ। मृतक फिरोज अहमद मेरा सगा भाई था। पेशे से मै अधिवक्ता हूॅ। फिरोज की हत्या के मामले के दौरान विवेचना, विवेचना की हाल मै लेता हूॅ। जो डायरी मैनें पेश किया है उसके बारे में मै विवेचक को बताया है। घटना के तुरन्त बाद मैनें नहीं बताया था। दो–चार दिन बाद बताया था। जब मैनें डायरी के बारे विवेचक को बताय था उस समय तुरन्त मेरा बयान विवेचक ने लिया था। घटना के दो–दिन पहले अभियुक्तगण ने जब मेरे भाई को देख लेने की धमकी दिया था उस समय मै था, तो इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कोई रपट थाने में नहीं दर्ज कराई। घटना के दो–तीन दिन पहले मुल्जिमानों द्वारा मेरे भाई को देख लेने की धमकी देने के सम्बन्ध में मैनें उक्त आशय का बयान विवेचक को दिया था लेकिन विवेचक ने मेरा उक्त बयान क्यों नहीं लिखा इसकी वजह मै नहीं बता सकता। राजेश यादव ने घटना से पहले मेरे भाई से मुलाकात ही नहीं हुई थी और न ही उसने मेरे भाई को देख लेने की धमकी दिया था। राजेश यादव को मै घटना से पहले से जानता हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मै झूठी गवाही दे रहा हूॅ। मै बही खाता डायरी दरोगा को फोटो कराकर दिया था, गवाह ने कई बार कहा कि मेन भी दिया था। बही खाता को प्रमाण स्वरूप बिक्री का कोई रसीद देने का कोई रिकार्ड हमारे पास नहीं था। बही खाते पर विक्रेता की दस्तखत नहीं होती थी न तो क्रेता की कोई दस्तखत होती थी। यह कहना गलत है कि फर्जी बही डायरी तैयार की गयी है।

13. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 4 सर्वजीत गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 23.10.2019 को सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 20.12.2013 शाम 07:30 बजे की है। वह व श्यामप्रीत मौर्य दोनों लोग खेत देखते हुए नहर पर लैट्रीन करने गये थे। यह लोग लैट्रीन कर रहे थे कि दक्षिण दिशा से 02 फायर की आवाज आयी थी। यह लोग नहर की पटरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि दक्षिण दिशा से दो व्यक्ति भागते हुए आ रहे थे, श्यामप्रीत ने टॉर्च जलाया तो देखा कि प्रदीप व धनेश आ रहे थे और खड़ी मोटर साइकिल को स्टार्ट किये और पूरब दिशा की ओर चले गये। प्रदीप चौहान मुर्गी फार्म लखनी में है, वह अक्सर फिरोज की दुकान से मुर्गी का चारा ले जाते थे। फिरोज के साथ अक्सर आते जाते थे। घटना के बारे में विवेचक ने उसका बयान लिया था। आवाज के तुरंत बाद भागते हुए देखा था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा बयान दरोगाजी ने दिनांक 26.12.2013 को लिया था। साक्षी को उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. पढ़कर

सुनाया गया तो साक्षी ने स्वीकार किया कि मेरे बयान में यह नहीं लिखा है कि मैनें किस स्थान पर किस तारीख को किस समय कितने बजे दोनों व्यक्तियों को भागते देखा व टोका। आज मै पहली बार न्यायालय में घटना का दिनांक 20.12.2013 को समय साढ़े सात बजे की बताया है। मै आज पहली बार न्यायालय में दो फायर की आवाज़ सुनने की बात बता रहा हूॅं। यह सही है कि धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में दो फायर सुनने की बात नहीं लिखा है। मै मुल्जिमान को पहले से जानता–पहचानता था। मैनें मुल्जिमान के बारे में नहीं पूछा था बल्कि श्यामप्रीत मौर्य से पूछा था कि आप लोग कौन हैं। मुझसे श्यामप्रीत ने नहीं पूछा था कि ये लोग कौन है जो भागे जा रहे हैं। प्रश्न– क्या श्यामप्रीत से मुल्जिमानों की शिनाख्त करायी गयी ? उत्तरः– सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह साक्षी क्या बतायेगा। साक्षी ने उत्तर दिया कि श्यामप्रीत से मुल्जिमानों की पहचान दरोगाजी ने करायी थी। यह कहना गलत है कि मै फर्जी गवाह बनाया गया हूॅं और झूठी गवाही दे रहा हूॅं।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 5 सेवानिवृत्त निरीक्षक हवलदार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 10.08.2022 को सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.12.2013 को वह बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी पर तैनात था, उसी दिन उसे मु.अ.सं. 798/2013 अन्तर्गत धारा 302, 504, 506 भा. दं.सं. थाना घोसी, जनपद मऊ बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात की विवेचना प्राप्त हुई थी। उसी दिन उसके द्वारा नकल चिक नकल रपट का अंकन केस डायरी में करने के बाद कॉ0 मुहर्रिर छोटेलाल यादव वादी शब्बीर अहमद का बयान केस डायरी में किया गया। दिनांक 21.12.2013 को घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण वादी के निशानदेही पर करने के साथ ही मौके का नक्शा नजरी भी तैयार किया गया। साक्षी ने कागज सं. 20क1 को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी उसके द्वारा मौके पर ही अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसे उसने तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। घटना स्थल की निरीक्षण के दौरान ही मौके से खूनालूद व सादी मिटटी को मौके से कब्जे में लिया गया। मौके पर एक अदद खोखा कारतूस 330 बोर तथा एक अदद मिस कारतूस जिसके पेंदे पर 7.65 लिखा है, मिला जिसे समक्ष गवाहान कब्जे में लिया गया तथा मौके पर ही एक कागज में रखकर व कपड़े में लपेटकर सर्व मुहर किया गया। नमूना मुहर तैयार किया गया। दिनांक 21.12.2013 को नकल फर्द खूनालुदा मिटटी व सादी मिटटी, नकल फर्द, एक अदद खोखा का अंकन केस डायरी में किया साथ ही समयी साक्षी मंदिर राय, अजय मौर्या व अरशद अंसारी का बयान केस डायरी में अंकित किया। साक्षी ने शामिल पत्रावली सत्र परीक्षण सं. 237/2014 कागज सं. 9क1 व 9क2 को देखकर कहा कि यही फर्द मौके पर उसके द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया था, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 22.12.2013 को उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन केस डायरी में करने के साथ ही एस.आई विजय कुमार झा, कॉ0 रमाकान्त राम व कॉ0 सुबाषचन्द राम का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 22.12.2013 को ही वादी शब्बीर अहमद का मजीद बयान तथा आसिफ का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 23.12.2013 को जयप्रकाश, अजय कुमार, अभिषेक कुमार उर्फ संजय 24.12.2013 को मिस्टर जिन्ना का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 25.12.2013 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय को गिरफ्तार किया, सभी का बयान केस डायरी में अंकित करने के बाद मृतक के भाई इजाजत हुसैन का बयान केस डायरी में अंकित करने के साथ ही तहरीर वादी का अंकन केस डायरी में किया गया। साक्षी ने शामिल पत्रावली सत्र

परीक्षण सं 237/2014 कागज सं. 26ख को देखकर कहा कि यह गिरफ्तारी प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किया गया है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे उसके द्वारा तस्दीक किया गया, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 26.12.2013 को अभियुक्तगण द्वारा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर तमंचा 303 बोर को गन्ने के खेत से निकालकर दिया गया था। घटनास्थल बरामदगी असलहा का अंकन केस डायरी में करने के साथ ही नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षी ने कागज सं. 20क2 शामिल पत्रावली सत्र परीक्षण सं. 237/2014 को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी उसके हस्तलेख में तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसे उसके द्वारा तस्दीक किया गया, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनांक 26.12.2013 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय का मजीद बयान केस डायरी में अंकित करने के साथ ही साक्षी श्यामप्रीत मौर्य समयी साक्षी सर्वजीत गुप्ता का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 28.12.2013 को पंचनामा का उल्लेख केस डायरी में करने के साथ ही एण्टीमोर्टम इंजरी का अंकन केस डायरी में करने के बाद साक्षी जलालुददीन व स्वाट टीम प्रभारी देवेन्द्र कुमार, एस.आई. सुरेशचन्द यादव का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 05.01.2014 को गवाह इजाजत हुसैन द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही का उल्लेख केस डायरी में किया। दिनांक 25.01.2014 को फर्द के गवाह घुरहू यादव व जमशेद उर्फ छोटू तथा अभियुक्त पिन्टू यादव का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 31.01.2014 को फर्द के गवाह मधुकर पाण्डेय, कॉ0 लोकेन्द्र, कॉ0 राहुल कुमार का बयान केस डायरी में अंकित करने के पश्चात अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय व पिन्टू यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उनके विरूद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 120बी, 302, 504, 506 भा.दं.सं. बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र संख्या 26/14 न्यायालय में प्रेषित किया। साक्षी ने शामिल पत्रावली कागज सं. 3क को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र उसके द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसे उसके द्वारा तस्दीक किया गया, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। अभियुक्त प्रदीप चौहान व अभियुक्त धनेश यादव की गिरफ्तारी के समय उनके पास से एक तमंचा 303 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद पिस्टर 32 बोर व दो अदद कारतूस 7.65 बरामद हुई थी, उक्त गिरफ्तारी के समय उसके साथ हमराही कॉ0 राहुल कुमार, कॉ0 लोकेश व मधुकर पाण्डेय मय सरकारी वाहन संख्या यू.पी. 54 जी. 0096 मय आरक्षी चालक सूर्यनाथ यादव व स्वाट टीम प्रभारी एस.आई. देवेन्द्र कुमार सिंह, एस.आई. सुरेश सिंह यादव, कॉ0 सेनापति सिंह, कॉ0 राजेश सिँह, कॉ0 संतोष सिंह, कॉ0 नजरे आलम, कॉ0 राघवेन्द्र दूबे, कॉ0 भानुप्रताप यादव, कॉ0 जयप्रकाश यादव, कॉ0 अनिल कुमार यादव, मय आरक्षी चालक बब्बन सिंह चौहान, मय सरकारी वाहन सं. यू.पी. 54 जी. 0104 मौजूद थे। गिरफ्तारी मुखबिर के इशारे पर हुई थी। गिरफ्तारी के समय दिनांक 25.12.2013 को समय 10.15 बजे अभियुक्त प्रदीप चौहान, धनेष एक मोटर साइकिल पैशन पलस यू.पी. 54 एन. 6897 तथा दूसरी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर यू.पी. 54 सी. 6028 लाल रंग पर राजेश यादव, तीसरी मोटर साइकिल यू.पी. 54 एन. 4210 पर मनीष पाण्डेय थे। प्रदीप चौहान के निशानदेही पर फिरोज के घर के उत्तर गन्ने के खेत से एक अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन, जिसके मैग्जीन में दो अदद जिंदा कारतूस जिसके पेदे पर के.एफ.–7.65 लिखा है। हुलिया काला रंग नाल की लम्बाई 8 अंगुल मुठिया की लम्बाई 5 अंगुल दोनों तरफ से प्लास्टिक स्क्रू से कसा हुआ ट्रेगर गार्ड, हैमर लगा हुआ था चालू हालत में था तथा धनेश ने भी उसी स्थान से हत्या में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 303 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व 303 बोर नाल खोलने पर नाल के अंदर जिसका बोर 303 है,

तमंचा काले रंग के प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। धनेश ने बताया कि यह वही तमंचा है, जिससे उसने दिनांक 20.12.2013 को फिरोज अहमद के सिर में गोली मारकर हत्या किया था तथा एक हवा में फायर किया था। गिरफ्तारी/बरामदगी के समय प्रदीप ने बताया था कि यह वही पिस्टल है, जिससे उसने फिरोज पर फायर किया था, जिसमें से एक कारतूस मिस हो गया था, जो मौके पर गिर गया था। बरामद असलहा व कारतूस को कब्जा में लेकर कॉ0 बलदेव को भेजकर प्लास्टिक का डब्बा मंगाकर डिब्बों के ढक्कन पर कपड़ा रखकर सीलकर सर्वमुहर किया गया था तथा नमूना मुहर तैयार किया था। मौके पर जनता के लोग आ गये थे, परन्तु गवाही देने के नाम पर बिना नाम पता बताये हट बढ गये थे। फर्द उसके द्वारा मौके पर ही कॉ0 मधुकर पाण्डेय से ही बोलकर लिखवाया गया था। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारी आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया था। अभियुक्तगण के द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बरों पर उनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी थी, फर्द की नकल अभियुक्तगण को दी गयी थी। फर्द पर अभियुक्तगण व उपस्थित पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर बनाये गये थे। साक्षी ने कागज सं. 5क1 ता 5क2 को देखकर कहा कि यही फर्द उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसको उसके द्वारा तस्दीक किया गया, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। न्यायालय की अनुमति पर संबंधित माल की सील तोड़ गयी। कपड़े पर लिखी इबारत सड़ गल जाने के कारण अपठनीय है। खोले गये माल में एक कागज की पोटली में पोस्टमार्टम के समय मृतक के शरीर से पायी गयी तीन बुलेट है। जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 ता 3 व पोटली पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। दो जिंदा कारतूस 303 बोर, 03 खोखा कारतूस 303 बोर, तीन जिंदा कारतूस 32 बोर है, जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–5 ता 12 डाला गया। एक पिस्टल 32 बोर व एक तमंचा 303 बोर चालू हालत में पाये गये, जिसको गवाह ने देखकर कहा कि यह कारतूस 32 बोर पिस्टल व 303 बोर कटटा आला कत्ल अभियुक्तगण ने बरामद कराया था। पिस्टल व कटटा पर वस्तु प्रदर्श–13 व 14 डाला गया तथा कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–14 व 15 डाला गया।

बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि दोनों असलहे मुर्चा हालत में है। मै इस समय रिटायर हो चुका हूँ, जंग लगा है। इसलिये चला नहीं पाऊँगा। मै लगभग 8 से 10 बार इस केस में थाने से बाहर तफ्तीश के लिये निकला, लेकिन इसका जी.डी. नम्बर केस डायरी में नहीं लिखा। मैनें अपनी वापसी जी.डी. में लिखी लेकिन केस डायरी में नहीं लिखी। धारा 44 पुलिस ऐक्ट खूब जानता हूँ मैनें ऐसी जी.डी. की कोई प्रति लेकर सी.डी. में नहीं लगाया है जिससे यह मालूम हो कि धारा 44 पुलिस ऐक्ट का पालन मेरे द्वारा किया गया था। कई प्रकार की बरामदगियों की एक ही ज्वाईंट फर्द मेरी देख–रेख में लिखवायी गयी है, जो प्रदर्श क–9 है, लेकिन यह सही है कि इन सारी बरामदगियों का समय अलग–अलग है। पत्रावली पर बैलेस्टिक परीक्षण की रिपोर्ट नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा सही तफ्तीश नहीं की गयी हो। थाने पर बैठ कर सारी कार्यवाही की हो। यह भी कहना गलत है कि मैनें गवाहान के बयानात फर्जी लिखे हैं। यह भी कहना गलत है कि सारी बरामदगियॉ फर्जी तैयार की गयी हों। राजेश यादव को सह अभियुक्त बनाने के लिये मैनें अन्य सह अभियुक्तगण ने मेरे अभिरक्षा में दिये गये बयान के आधार पर बनाय था। अलावा इसके राजेश यादव ने अपने संलिप्तता के आधार पर मुल्जिम बनाया गया। यह कहना गलत है कि मैनें राजेश यादव को बिना किसी स्वतंत्र/विश्वसनीय साक्ष्य के विवेचना में अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त मनीष पाण्डेय को भी सह अभियुक्त के बयानों के आधार पर

मुल्जिम बनाया गया है। यह कहना गलत है कि बिना किसी ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य के हैरान–परेशान करने की नियत से मुल्जिम बना दिया गया है।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 6 विजय कुमार झा ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 10.10.2023 को सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.12.2013 को वह बतौर उपनिरीक्षक थाना घ ोसी, जनपद मऊ में तैनात था। दिनांक 21.12.2013 को मृतक फिरोज के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मृतक का शव जिला चिकित्सालय में मर्चरी हाउस में था, वह वहॉ हमराहियों के साथ गया, वहॉ पंचान नियुक्त कर पंचानामें की कार्यवाही किया तथा पंचायतनामा जो शामिल पत्रावली प्रदर्श क–2 के रूप में है तैयार किया, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उसके द्वारा पहचान की गयी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस प्रपत्र–13, फोटो नाश, आर.आई. को पत्र, सी.एम.ओ. को पत्र तैयार किया जो क्रमशः शामिल पत्रावली कागज सं. 14क, 15क, 16क1, 16क2 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उसके द्वारा पहचान की गयी, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 एवं प्रदर्श क–13 डाला गया। विवेचक ने उससे पूछताछ की थी।

बयाव पक्ष की ओर से की गई प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतक सूचना मुझे किस समय प्राप्त हुई, मुझे याद नहीं है। किस तरह से याद हुई यह भी याद नहीं है कितने बजे मै अस्पताल पहॅुचा था याद नहीं है। यह कहना गलत है कि पत्रावली में दाखिल कागज सं. 14क, 15क, 16क/1 एवं 16क/2 मैनें मात्र खानापूर्ति के लिये तैयार किया था, कितने को अस्पताल से वापसी हुई यह भी मुझे याद नहीं है।

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 7 डॉ0 अरूण कुमार पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 01.11.2023 को सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 21.12.2013 को जिला अस्पताल मऊ में सीनियर सर्जन के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी। थाना कोतवाली घोसी से कॉ0 रमाकान्त यादव व सुबास राय समस्त प्रपत्रों के साथ मृतक फिरोज का शव सीलबंद हालत में पोस्टमार्टम कराने हेतु लाये। उसने सील की मिलान किया, सही पाये जाने पर पोस्टमार्टम हेतु शव को निकाला, उसकी लम्बाई 155 सेमी. थी। **शव का बाह्य परीक्षणः–** शव के पूरे देह में अकड़न मौजूद थी, मृतक औसत कद काठी का था। उसकी दोनों ऑखे बंद थी और नाक मॅुह तथा दाहिने कान से खून बह रहा था। **मृत्यु पूर्व आयी चोटेंः–** 1.5cmX1cm ब्रेन कैवीटी तक गहरा अग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव खोपड़ी के अक्सीपटल क्षेत्र के मध्य में स्थित था। घाव के किनारे पर लालीमा एवं बाल जले हुए थे तथा इसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े थे। चोट सं. 2 अग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 1cmX1cm ब्रेन कैवीटी तक गहरा दाहिने तरफ आक्सीपटल क्षेत्र में खोपड़ी पर तथा घाव के किनारे पर लालिमा मौजूद थी एवं उसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। चोट सं. 3 अग्नेयास्त्र का निकास घाव 2cmX1.5cm ब्रेन केविटी तक गहरा बाएं तरफ पेराईटल क्षेत्र में बाई ऑख के भौंह से 8 सेमी. उपर खोपड़ी पर स्थित था, घाव के किनारे बाहर की तरफ थे। उपरोक्त चोट सं. 1, चोट सं. 3 से कम्युनिटी करती है तथा चोट सं. 2 से अंदर जाकर दाहिने आक्सिपटल हडडी को फ्रैक्चर करते हुए एवं ब्रेन तथा उसके कवरिंग को लैरेटेड करते हुए एवं ब्रेन तथा ललाट पर खोपड़ी स्कल्प के बीच में नाक के रूट से 2 सेमी. उपर एक बुलेट फसी हुई थी। **आंतरिक परीक्षणः–** स्कल करोट खोपड़ी की

आक्सीपटल, पेराटूरल, फ्रन्टल, हडडी टूटी हुई थी। दायें और बाएं फेफड़े एवं उसकी कवरिंग कन्जेस्टेड था। अमाशय में 300 एम.एल. अर्धपचित खाद्य पदार्थ मौजूद था। छोटी एवं बड़ी आंते अर्धपाचन तरल खाद्य पदार्थ गैसेस मल पदार्थ से भरी हुई थी, स्पीलीहा एवं दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। मृतक की मृत्यु पूर्व अग्नेयास्त्र की चोटों के द्वारा उत्पन्न कोमा के कारण लगभग एक दिन पूर्व हुई थी। मृतक के खोपड़ी से एक बुलेट निकाली गयी, जिसे सील मुहर बंद कर पुलिस प्रपत्रों के साथ संबंधित सिपाहियों को दे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली कागज सं. 17क1 लगायत 17क10 है, जो उसके लख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उसके द्वारा पहचान की गयी, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि आग्नेयास्त्र से दूर से मारा गया या सटा कर मारा गया यह हम नहीं बता सकते, यह बैलेस्टिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव के किनारे ऊपर की तरफ मुझे हुये थे, यह चोट जहॉ लगी थी वहॉ से उसकी दशा तिरछी थी (निकासद्वार) मृतक की खोपड़ी में दो इन्ट्री थी और एक एग्जिट घाव था तथा एक मारने वाली बुलेट ब्रेन में ब्रेन से मिली बुलेट को हमी ने पोस्टमार्टम के दौरान रिकवर किया था। यह बुलेट पिस्टल की थी या कट्टे की यह मै नहीं बता सकता। मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर शरीर में अकड़न आ जाती है। गर्मी में थोड़ा पहले आ सकती है। मृत्यु के समय में थोड़ा अप–डाउन हो सकता है। अमाशय में भोजन चार घण्टा में पचकर आगे चलने लगता है। मृत्यु होने के तुरन्त बाद पाचनक्रिया तुरन्त ब्रेक हो जाती है। मृतक मृत्यु के पूर्व अपना भोजनपानी कर चुका था। यह कहना गलत है कि मैनें सरसरी तौर पर मृतक का पोस्टमार्टम किया है।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छोटेलाल यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 27.03.2025 को सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.12.2013 को वह बतौर का०मु० थाना घोसी जनपद मऊ में तैनात था। वादी मुकदमा सब्बीर अहमद पुत्र स्व० लाल मुहम्मद निवासी मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ की मूल तहरीर के आधार पर विरुद्ध दो अज्ञात व्यक्ति नाम व पता अज्ञात अपराध संख्या 798/2013 अंतर्गत धारा 302, 504, 506 भा.दं.सं. में तहरीर के आधार पर दिनांक 20.12. 2013 को समय 21.15 बजे पंजिकृत किया और उसी क्रम में कायमी जी०डी० भी उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। चिक एफ०आई०आर० शामिल पत्रावली कागज संख्या 4क व कायमी जी०डी० संख्या 50 समय 21.15 बजे दिनांक 20.12.2013 शामिल पत्रावली कागज संख्या 7क को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० है जिसे उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० पर क्रमशः प्रदर्श क 15 व प्रदर्श क 16 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय वादी मुकदमा मेरे समक्ष उपस्थित था। वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के पहनावा व हुलिया के बारे में अगर बताया गया होता तो मै अवश्य दर्ज करता। अपराधियों के पहचान के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं बताया गया था। मैनें अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 9 सेवानिवृत्त हेड कॉ0 परमहंस पासवान ने

अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 02.07.2025 को सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.12.2013 को वह बतौर हेड कांस्टेबल थाना घोसी जनपद मऊ में तैनात था। दौरान कार्यलेख फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 303 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद पिस्टल 32 बोर (7.65) व दो अदद कारतूस 7.65 व गिरफ्तारी चार नफर अभियुक्त संबंधित मुकदमा अपराध सं0 798/2013, धारा 302, 504, 506 भा.दं.सं. तत्कालीन एस.एच.ओ. हवलदार सिंह यादव मय हमराही मय माल मय मुल्जिम व फर्द बरामदगी के साथ थाना कार्यालय में उपस्थित आये। फर्द बरामदगी के आधार पर उसने विरूद्ध अभियुक्त प्रदीप चौहान मुकदमा अपराध सं० 801/2013 अंतर्गत धारा 3६/5 आयुध अधिनियम व विरूद्ध अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू यादव मुकदमा अपराध सं० 802/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की चिक सं0 319/2013 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया व कायमी जी.डी. रपट नं0 25 समय 13.15 बजे तत्कालीन एस.एच. ओ द्वारा स्वयं अपने हमराही कां० मधुकर पाण्डेय से बोल बोलकर तैयार कराया था। चिक एफ.आई.आर. शामिल पत्रावली कागज सं0 4क1 ता 4क4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर है जिसे उसने फर्द के आधार पर स्वयं तैयार किया था। उसने अपने लेख व हस्ताक्षर तस्दीक किया, जिस पर थाने की गुहर लगी है। चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–17 डाला गया। अभियुक्त प्रदीप चौहान के पास से एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू यादव के पास से एक तमंचा 303 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ था। मुकदमे की कायमी जी.डी. की छाया प्रति शामिल पत्रावली कागज सं0 7क1 ता 7क2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही कायमी जी.डी. है जिसे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक द्वारा कां० मधुकर पाण्डेय से बोल बोलकर तैयार कराया गया था जिस पर थाने की गुहर लगी है जिसकी उसके द्वारा पहचान की गयी। कायमी जी.डी. पर प्रदर्श क–18 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मै अपने उच्च्य अधिकारियों के मातहत काम करता था। उनके निर्देश पर काम करता था। यह कहना गलत है कि पुलिस के राय मशविरे से मुल्जिमों के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

19. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं. 10 हेड कॉ0 मधुकर पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 18.07.2025 को सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.12.2013 को वह बतौर कांस्टेबल थाना घोसी जनपद मऊ में तैनात था। उस दिन वह एस.एच.ओ. हवलदार सिंह यादव के हमराही के रूप में था। उसके साथ कां० राहुल कुमार, कां० लोकेन्द्र भी थे। उस दिन यह लोग एस.एच.ओ. घोसी के साथ मय सरकारी वाहन यू०पी० 54 जी 0096 मय आरक्षी चालक सूर्यनाथ यादव के साथ बागरज देखभाल क्षेत्र व शांति व्यवस्था ड्यूटी में मझवारा मोड़ पर मामूर थे कि उसी समय एस.आई. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह स्वाट टीम प्रभारी मय एस.आई. सुरेश सिंह यादव, कां० सेनापति सिंह, कां० राजेश सिंह, कां० संतोष सिंह व कां० नजरे आलम, कां० राघवेन्द्र दूबे, कां० भानूप्रताप यादव, कां० जयप्रकाश यादव, कां० अनिल कुमार यादव मय आरक्षी चालक बब्बन सिंह चौहान मय जीप सरकारी के साथ आ गये और सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तभी मुखबिर से एस.एच.ओ. को मिली सूचना के आधार पर मझवारा में हुये फिरोज की हत्या का अभियुक्त प्रदीप चौहान व धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष कुमार पाण्डेय तीन मोटरसाइकिलों से मानिकपुर असना की तरफ से नहर के रास्ते से माउरबोझ होते हुये मझवारा की तरफ

जाने वाले हैं। सूचना पर विश्वास करके एस.एच.ओ. के साथ यह लोग हमराही व स्वाट टीम प्रभारी एस. आई. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही अपने–अपने वाहनों के साथ माउरबोझ नहर पर पहुंचकर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने लगे और एस.आई. विजय कुमार झा मय हमराही मझवारा की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे। थोडी ही देर पर तीन मोटरसाइकिलों पर चार व्यक्ति आगे पीछे आते दिखायी दिये। मुखबिर ने इशारा किया कि यही बदमाश हैं जिन्होनें फिरोज की हत्या दिनांक 20.12. 2013 को की है और वहां से हट गये। करीब आने पर उन बदमाशों को पुलिसवालों द्वारा रूकने का इशारा करते हुये समय करीब 10.15 बजे घेरकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अगली गाड़ी यू.पी. 54 एच 6897 पैशन प्लस पर सवार एक व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप चौहान पुत्र इन्द्रबहादुर चौहान निवासी ठकुरमनपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ बताया। दूसरे ने अपना नाम धनेश उर्फ मनु यादव पुत्र दुखंती उर्फ शोभा यादव निवासी अरैला थाना रानीपुर जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम बरलाई थाना सरायलखंसी बताया। दूसरी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलेंडर यू.पी. 54 सी 6028 पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम राजेश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी भटकुंआ पट्टी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ बताया। तीसरी मोटरसाइकिल यू.पी. 54 एन 4210 पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम मनीष पाण्डेय पुत्र जनार्दन पाण्डेय निवासी भटकुंआपट्टी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ बताया। गहनता से पूछताछ करने पर प्रदीप चौहान ने बताया था कि उसकी जान पहचान फिरोज पुत्र लालमोहम्मद निवासी मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ से करीब तीन साल पहले से है। उसका भी एक मुर्गी फार्म लखनी मुबारकपुर में था। फिरोज से वह मुर्गी फार्म के लिये 1,30,000/– रूपये का चूजा व मुर्गी का दाना आदि लिया था। मई 2013 में उसका मुर्गी फार्म जल गया और वह पैसा वापस नहीं कर सका। वह आर्थिक रूप से परेशान हो गया। तब पुनः 25,000/– रूपये फिरोज से उधार लिया और अपने गांव पर दो हजार मुर्गी के बच्चों का फार्म बनाया और पुनः उसने फिरोज से आरजू मिन्नत किया तो उसने उसे 1,73,000/– रूपये का बच्चा व दाना दिया परन्तु उसमे भी घाटा हो गया। तब वह पैसा वापस नहीं कर पाया और सोचा कि यदि फिरोज को मार देगा तो इतने पैसे बच जायेंगे। उसने राजेश यादव निवासी भटकुआपट्टी से सम्पर्क किया तो राजेश ने बताया कि यह काम धनेश उर्फ मैनू निवासी अरैला जो अपने मामा विरेन्दर यादव के यहां ग्राम बरलाई में रहते हैं जो आप का काम कर सकता है। राजेश यादव, धनेश उर्फ मैनू से गिला तो मैनू ने कहा कि वह पहले कई हत्या किया है, परन्तु पकड़ा नहीं गया उसका भी काम कर देगा असलहा खरीदने के लिये 35,000/– रूपये दो। प्रदीप ने 35,000/– रूपया दे दिया। वह, राजेश व मैनू मुहम्मदाबाद से एक तमंचा 303 बोर, 5 अदद कारतूस, एक पिस्टल 32 बोर व 5 कारतूस लिया। यह लोग मोबइल से बातचीत कर फिरोज की हत्या की प्लानिंग बनाते हुये दिनांक 20.12.2013 को प्रदीप ने दो काल फिरोज को किया। वह तथा धनेश उर्फ मैनू असलहा के साथ मझवारा में और भागने में सहयोग के लिये मनीष पाण्डेय, पिण्टू यादव मधुबन मोड़ मझवारा तथा मझवारा से उत्तर नहर के पास खड़े थे। जिस तमंचा से धनेश उर्फ मैनू ने फायर किया और जिस पिस्टल से उसने (प्रदीप चौहान) फायर किया वह तमंचा व पिस्टल एक पालीथीन में लपेटकर फिरोज के घर के उत्तर गन्ने के खेत में छिपा दिया। यदि उसे वहां ले चलेंगे तो बरामद करा देगा। यह सभी लोग मुल्जिमान के बातों पर विश्वास कर उनको अपने साथ लेकर अपने अपने वाहनों से मझवारा पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे तो अभियुक्त प्रदीप चौहान व धनेश उर्फ मैनू आगे आगे पैदल चलकर गन्ने के खेत के उत्तरी पश्चिमी कोने पर करीब दो मीटर अंदर घुसकर प्रदीप चौहान ने एक अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन जिसके मैगजीन में दो अदद जिन्दा कारतूस था। प्रदीप ने बताया कि यह

वही पिस्टल है जिससे उसने फिरोज के ऊपर फायर किया था, जिसमे एक फायर मिस हो गया था मौके पर गिर गया था। धनेश उर्फ मैनू यादव ने भी उसी के पास से गन्ने के खेत से ही एक अदद तमंचा व दो जिन्दा कारतूस 303 बोर व नाल खोलने पर एक अदद खोखा कारतूस 303 बोर मिले जो काले रंग की पालीथीन में लिपटा हुआ था और धनेश उर्फ मैनू ने बताया था कि उसने दिनांक 20.12.2013 को फिरोज अहमद के सिर में गोली मारकर हत्या किया था और एक हवा में फायर किया था। मौके पर हमराही कर्मचारी का० बलदेव मौर्य से प्लास्टिक का डिब्बा मंगाकर मौके पर ही प्लास्टिक के डिब्बे में सीलकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के लोग आ गये थे गवाही के लिये कहने पर कोई तैयार नहीं हुआ। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया। मुल्जिमानों द्वारा बताये गये मोबाइल नंबरों पर उनके परिजनों को सूचना दी गयी। फर्द मौके पर एस.एच.ओ. हवलदार सिंह यादव द्वारा बोल बोलकर उससे मौके पर लिखवाया गया था। मुल्जिमानों को फर्द की कॉपी दी गयी। तीनों मोटरसाइकिलों को पुलिस कब्जा में लिया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। साक्षी ने प्रदर्श क–9 फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह वही फर्द है जिसे उसने एस.एच.ओ. हवलदार सिंह यादव के बोलने पर लिखा था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पर उसने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की। फर्द के आधार पर थाना घोसी में एस.एच.ओ. द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी उस समय थाना घोसी में बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। वह उनकों लिखते पढ़ते देखा था। मुकदमा अपराध सं० 801/2013, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, राज्य बनाम प्रदीप चौहान में विवेचक थे। सत्र परीक्षण सं0 238/2014 में नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज सं० 10क व आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3क को देखकर साक्षी ने कहा कि नक्शा नजरी व आरोप पत्र उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी के लेख व हस्ताक्षर में हैं। उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी के लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता हूं। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–19 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क–20 डाला गया। उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी उस समय थाना घोसी में बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। वह उनको लिखते पढ़ते देखा था। मुकदमा अपराध सं0 802/2013, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, राज्य बनाम धनेश उर्फ मैनू यादव में विवेचक थे। सत्र परीक्षण सं0 239/2014 में नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज सं० 8क व आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3क को देखकर साक्षी ने कहा कि नक्शा नजरी व आरोप पत्र उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी के लेख व हस्ताक्षर में हैं। उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र द्विवेदी के लेख व हस्ताक्षर की साक्षी द्वारा पहचान की गयी। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–21 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क–22 डाला गया। विवेचक एस.आई. सुभाष चन्द्र द्विवेदी की मृत्यु हो चुकी है। एस.आई. सुभाष चन्द्र द्विवेदी द्वारा दौरान विवेचना इस मुकदमे में उसका बयान लिया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे लगभग 14 साल पुलिस की नौकरी करते हो गया। इस बीच मैं बहुत पुलिस अधिकारियों व दीवानों के साथ रहा हूं। मैं जिनके साथ रहा हूं उनका हस्तलेख मैं पहचान सकता हूं। मैं अब तक 50–60 पुलिस अधिकारियों के साथ रह चुका हूं। मैं वहां कांस्टेबल था। कागज सं0 7क१ मैनें अपने हस्तलेख में लिखा यह एस.एच.ओ. सर लिखवाये थे। उस समय थाने पर दीवान ड्यूटी पर थे। घटना की सूचना पाकर मैं कितनी देर में पहुंचा यह मुझे याद नहीं है। नक्शा नजरी मेरे सामने नहीं बना था। मैनें सुभाष चन्द्र द्विवेदी के हस्ताक्षर के आधार पर नक्शा नजरी कागज सं० 10क की पहचान किया है। मैं उनका हस्तलेख पहचानता हूं। हम

लोग मौके पर पहुंचे तो उसके बाद पब्लिक के बहुत से लोग आये। मेरे साथ कां० लोकेन्द्र और कां० राहुल कुमार और एस.एच.ओ. साहब थे। मैनें किसी मुल्जिम को नहीं पकड़ा था। बरामद असलहा को उपनिरीक्षक विजय कुमार झा व कां० राहुल कुमार ने सील किया। बरामद माल के सील पर मेरा भी हस्ताक्षर है। दो लोग मृतक के पक्ष के थे उन लोगों ने फर्द पर हस्ताक्षर किया था। उन लोगों को एस.एच. ओ. महोदय द्वारा सूचना देकर बुलाया गया। उन लोगों को मौके पर आने में कितना समय लगा यह मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि विभागीय होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। मुझे याद नहीं है कि थाने से एस.एच.ओ. साहब के साथ कितने बजे रवानगी हुई थी। हम लोगों की रवानगी थाने की जी.डी. में दर्ज होकर हुई थी। रवानगी की जी.डी. की कोई प्रति हम लोगों ने विवेचक को नहीं दिया था। फर्द में भी थाने से रवानगी का समय नहीं लिखा गया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि थाने से रवानगी का समय विवेचक को बताया गया था या नहीं। दिनांक 25.12.2013 को थाने से रवाना होने के बाद हम लोग मझवारा मोड़ पहुंचे थे। मझवारा मोड़ पर हम लोग 10–10.30 बजे दिन में पहुंचे थे। मझवारा मोड़ पर मैं, एस.एच.ओ. साहब और दो पुलिस के कर्मचारी थे। मझवारा मोड़ पर हम लोग डेढ़ दो घण्टे तक रहे। इस बीच मझवारा मोड़ पर कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया था। हम लोग मझवारा मोड़ से मझवारा बाजार के लिये चल दिये थे कितने बजे मझवारा मोड़ से मझवारा के लिये चले थे समय मुझे याद नहीं है और न फर्द में मझवारा मोड़ से रवाना होने का कोई विवरण लिखा हुआ है। हम लोग मझवारा बाजार नहीं गये थे घोसी और मझवारा बाजार के बीच में ही नहर पर रूक गये थे। यह नहर घोसी थाने से 3 किमी. दूरी पर है किस दिशा में है मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता कि नहर पर कितने बजे हम लोग पहुंच गये थे। यह नहर किस दिशा से किस दिशा को जाती है मुझे नहीं मालूम। नहर पर पहुंचने का भी समय फर्द में अंकित नहीं है। इसी नहर से एक सड़क निकलकर असना गांव की ओर जाती है। इसी नहर की पुल के थोड़ा से और आगे मुल्जिम आ गये थे। उस समय हम लोग वाहन चेक कर रहे थे और गाड़ी वालों की वहां भीड़ लगी हुई थी। मैं नहीं बता सकता कि वहां नहर पर मुल्जिमानों की पहचान कैसे हुई इस बात को एस.एच.ओ. साहब जानते थे। उन मुल्जिमानों को वहीं पर एस.एच.ओ. साहब ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं नहीं बता सकता कि नहर पर मुल्जिमानों की गिरफ्तारी कितने बजे हुई थी। मुल्जिमानों की गिरफ्तारी का भी समय फर्द में अंकित नहीं है। वहीं नहर की पुलिया पर मुल्जिमानों की गिरफ्तारी का मेमो तैयार हुआ था। उस मेमो पर एस.एच.ओ. साहब और हम सब हमराहियान हस्ताक्षर बनाये थे। मुल्जिमान के कब्जे से रूपया पैसा या कोई असलहा वहां बरामद नहीं हुआ था बल्कि तीन मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। तीनों मोटरसाइकिलों के संबंध में नहर पर ही गिरफ्तारी स्थल पर मोटरसाइकिलों की बरामदगी का फर्द लिखा गया। इस फर्द को भी मैनें ही लिखा था और उस पर मैं, एस.एच.ओ. साहब और अन्य हमराहियान अपना हस्ताक्षर बनाये थे और मुल्जिमान भी अपना हस्ताक्षर बनाये थे। उस नहर पर जहां गिरफ्तारी और बरामदगी बता रहा हूं वहां पर कितने देर तक रहे यह नहीं बता सकता। बरामदगी स्थल के आस पास दुकान मकान है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। यह गिरफ्तारीस्थल माउरबोझ गांव में पड़ता है। यह थाने से 3 किमी. दूर पड़ता है। मोटरसाइकिलों को नहर पर ही बरामदगीस्थल पर छोड़ दिये और मुल्जिमानों के साथ घटनास्थल जहां हत्या हुई थी वहां पहुंच गये। वह स्थान मझवारा बाजार के पास पड़ता है। उस स्थान पर चारों मुल्जिमान गये थे। घटनास्थल जहां हत्या हुई थी वहां मुर्गी फारम भी है। हत्या वाले स्थान पर असलहे बरामद हुये थे। वहां दो असलहे बरामद हुये थे। मुर्गी फारम से 50 मीटर की

दूरी पर गन्ने के खेत से असलहे बरामद हुये थे। मुर्गी फारम से सटे हुये बगल में ही गन्ने का खेत है। यह गन्ने का खेत कितना बड़ा था मुझे याद नहीं है। गन्ने कितने बड़े हो गये थे यह भी मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि गन्ने के खेत में किस दिशा से जाने से असलहे बरामद हुये थे। मैनें नहीं देखा कि बरामद असलहे एक ही झोले में थे कि अलग अलग झोले में थे। मुझे याद नहीं है कि कितने बजे हम लोग गन्ने के खेत में गये थे। मुझे यह भी याद नहीं है कि असलहे कितने बजे बरामद हुये। फर्द में बरामदगी का समय भी अंकित नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मुर्गी फारम पर हम लोग कितनी देर तक रहे। मुझे यह भी याद नहीं है कि मुर्गी फारम से कितने बजे हम लोग थाने के लिये वापस चले और कितने बजे थाने पहुंचे। मौके पर असलहे प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सील हुये थे। उस पर मुल्जिमान भी दस्तखत बनाये थे। मैं भी हस्ताक्षर बनाया था और एस.एच.ओ. साहब तथा अन्य लोग भी बरामदगी की प्लास्टिक पर हस्ताक्षर बनाये थे। बरामद माल आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। बरामद असलहों को दरोगा जी ने टेस्ट करके यह जानने की कोशिश नहीं किया कि चालू हालत में है कि नहीं। मुझे याद नहीं है कि विवेचक ने कितने दिन बाद मेरा बयान लिया था। मैनें घटनास्थल दरोगा जी को नहीं दिखाया था। यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी और बरामदगी की कहानी बिल्कुल झूठी है। जिस तरह से जिस स्थान पर गिरफ्तारी व बरामदगी बतायी जा रही है उस तरह से उस स्थान पर कोई गिरफ्तारी व बरामदगी नहीं हुई थी। यह भी कहना गलत है कि कथित तारीख को हम लोगों की रवानगी थाने से नहीं हुई। यह भी कहना गलत है कि मुकदमे में झूठा साक्ष्य गढ़ने के लिये मुल्जिमान को घर से थाने पर बुलाकर झूठी व फर्जी गिरफ्तारी व बरामदगी दर्शायी गयी। यह भी कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूं।

20. राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' ने तर्क प्रस्तुत किया है कि इस घटना को मृतक के भाई शब्बीर अहमद एवं भांजे आसिफ ने अपनी ऑखों से देखा था और उन्होनें घटना वाले दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव को एक साथ आने, अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू द्वारा कट्टे व पिस्टल से सिर में गोली मारकर उसके भाई फिरोज़ की हत्या करने का साक्ष्य दिया है। इन साक्षीगण ने घटना के हेतुक को भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि मृतक फिरोज़ द्वारा पोल्ट्री फार्म चलाने हेतु उधार में दिये गये चूजे व दाना आदि की धनराशि को वापस न करने पर मृतक फिरोज़ द्वारा उधार दिये गये रूपयों को वापस न देने के उद्देश्य से उसके भाई फिरोज़ की हत्या की गयी। मृतक का भांजा आसिफ पी.डब्लू.2 एवं मृतक के भाई इजाजत हुसैन पी.डब्लू.3 ने भी अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा कारित की गयी घटना का समर्थन अपने–अपने साक्ष्य में किया है। मृतक के भांजे पी.डब्लू.2 आसिफ ने यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि उसके मामा फिरोज़ (मृतक) गेट के बाहर गये तब तक गोली की आवाज़ सुनाई दी, तब गोल की आवाज़ पर वह तथा उसके मामा शब्बीर (वादी मुकदमा) बाहर गये तो दो व्यक्ति प्रदीप चौहान व धनेश को देखा। धनेश कट्टा लिये हुये थे और प्रदीप पिस्टल लिये थे। ये लोग उसके मामा को गोली से मारे थे। गोली उसके मामा के सिर में लगी थी। डॉ0 अरूण कुमार पाण्डेय पी.डब्लू.7 ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर दौरान पोस्टमार्टम फायरआर्म की प्राण–घातक एवं गम्भीर चोटें पाये जाने का साक्ष्य दिया है और मृतक की मृत्यु का कारण उसके शरीर पर पायी गयी मृत्यु

पूर्व की अग्नेयास्त्र की चोटों को बताया है तथा मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले इस चिकित्सक ने यह भी बताया कि मृतक के खोपड़ी से एक बुलेट निकाली गयी थी, जिसे सील मुहर बन्द कर पुलिस प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित सिपाहियों को दे दिया गया। अभियोजन ने मृतक के शरीर से बरामद बुलेट और अभियुक्त के पास से बरामद असलहे व कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ की रिपोर्ट को अभियोजन ने कागज सं. 60क के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक की हत्या अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा चलाये गये आग्नेयास्त्र से होना साबित है। घटना के हेतुक के सम्बन्ध में अभियोजन ने मृतक फिरोज़ द्वारा अभियुक्त प्रदीप चौहान को पोल्ट्री फार्म चलाने हेतु उधार में दिये गये सामानों की रोकड़ी बही को भी प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में साबित करवाया है। समस्त अभियोजन प्रपत्रों को साक्षीगण से साबित कराया गया है और इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है, ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हुए विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' द्वारा अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में निर्णयज विधियॉ रम्मी रामेश्वर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2000 (1) जे.आई.सी. 102 (एस.सी.), श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य 2001 एस.सी.सी. (कि0) 1095, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1976 एस.सी.सी. (कि0) 436, बिलाल हजार उर्फ अब्दुल हमीद बनाम स्टेट 2019 (1) जे.आई.सी. 191 (एस.सी.) प्रस्तुत की गयी हैं। इन तर्को के समर्थन में वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत किया गया है।

21. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने पुरजोर तर्क प्रस्तुत किया है कि पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 आसिफ ने घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव को देखने का कथन किया है परन्तु इसके बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.1 व पी. डब्लू.2 द्वारा अपने बयान में घटना घटित होने के बाद अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाया गया है। पी.डब्लू.1 शब्बीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमानों को अपने सामने आने पर मै पहचान सकता हूॅ, इस बयान से ही यह स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुये पहचाना नहीं गया था। पी.डब्लू.1 शब्बीर ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के एक दिन बाद विवेचक ने उसका बयान लिया था, जिसमें उसने विवेचक को दो अज्ञात लोगों का हुलिया बताया था, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा शब्बीर पी.डब्लू.1 ने शक्ल से पहचान कर हमलावरों का नाम नहीं बताया था। पी.डब्लू.2 आसिफ ने विवेचक को दिये बयान में मात्र यह कथन किया है कि एक हमलावर की आवाज़ उसे प्रदीप चौहान की आवाज़ जैसी लगी, जिससे वह पूर्व से परिचित था, परन्तु पूर्व से परिचित होने के कारण किसी व्यक्ति की नामजदगी नहीं की जा सकती। पी.डब्लू.2 आसिफ ने न्यायालय में दिये बयान में कथन किया है कि वह दोनों हमलावरों को शक्ल से पहनानता था परन्तु इस साक्षी ने विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है,

जिससे स्पष्ट है कि इस साक्षी ने राय–मशविरा के बाद न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में हमलावरों के नाम का उल्लेख किया है। स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित कराये गये पी.डब्लू.2 सर्वजीत गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दो व्यक्ति भागते हुये आ रहे थे, श्यामजीत ने टार्च जलाया तो हम लोगों ने देखा कि प्रदीप व मैनू उर्फ धनेश आ रहे थे और खड़ी मोटर साइकिल को स्टार्ट किये और पूरब दिशा की ओर चले गये, परन्तु इस साक्षी से प्रति परीक्षा में उसके बयान अं0 धारा 161 दं.प्र.सं. के बारे पूछा गया तो साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे बयान में यह नहीं लिखा है कि उसने किस स्थान पर किस तारीख को किस समय कितने बजे दोनों व्यक्तियों को भागते देखा व टोका। आज वह पहली बार न्यायालय में घटना का दिनांक 23.12.2013 को समय साढ़े सात बजे बताया है और पहली बार न्यायालय में दो फायर की आवाज सुनने की बात बताया है, यह सही है कि धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में दो फायर सुनने की बात नही लिखी है। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित पी.डब्लू.4 सर्वजीत गुप्ता का बयान विश्वसनीय नहीं है। मुकदमें को बल देने की नियत से फर्जी रोकड़ बही तैयार करके दाखिल की गयी है और ऐसी रोकड़ बही की कोई वैधता नहीं है। उधार लेन–देन का व्यवहार मृतक का काफी लोगों से रहा होगा मात्र शंका के आधार पर अभियुक्त प्रदीप चौहान को अभियुक्त बना दिया गया है। अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव को दिनांक 25.12.2013 को गिरफ्तार किया गया है और उनसे घटना में प्रयुक्त असलहों की कथित बरामदगी की गई। निरीक्षण घटनास्थल के समय घटनास्थल पर एक मिस कारतूस एवं खोखा कारतूस 303 बोर का बरामद होना कहा गया है, जिसे शस्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट में 1/2015 एल.सी.–1 एवं ई.सी–2 से प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 25.12.2013 को ही अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल 303 बोर, 02 जिन्दा कारतूस एवं नाल में एक खोखा कारतूस 303 बोर बरामद किया जाना कहा गया है जिन्हें शस्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट 2/2015 एल.सी.–4, एल.सी.–4 एवं ई.सी.–2 से प्रदर्शित किया गया है। शस्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार ई.सी.–1 तथा ई.सी.–2 दोनों देशी पिस्टल 2/2015 द्वारा चलाये हुये पाये गये हैं। पोस्टमार्टम के समय मृतक के शरीर से एक बुलेट प्राप्त हुई थी जिसे शस्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट में ई. बी.–1 से प्रदर्शित किया गया है, जो किसी भी असलहे से चली हुई नहीं पायी गयी है। शस्त्र विशेषज्ञ के पास भेजने जाने वाले माल मुकदमाती को सुरक्षित करने के दिनांक से लेकर शस्त्र विशेषज्ञ के पास पहुॅचने तक सेफ कस्टडी में होना चाहिये और सम्पूर्ण अवधि को ध्यान में रखकर सभी लिंक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में माल मुकदमाती के सेफ कस्टडी में होने के तथ्य को लिंक साक्ष्य देकर साबित करने में अभियोजन पूर्णतः विफल है, ऐसी स्थिति में शस्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तथ्य के गवाहान के साक्ष्य में घटना व उन साक्षियों के द्वारा देखी जाने वाली घटना के बारे में महत्वपूर्ण विरोधाभाष हैं। तथ्य के सभी गवाहान को हितबद्ध साक्षी होना बताते हुए विद्वान अधिवक्तागण ने सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को चारों तरफ से सन्देह से घिरा होना बताया है । विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतक को गोली मारी और जब उसे थाने से अस्पताल ले जा रहे थे तो उसकी मृत्यु होने पर वादी ने पुलिस वालों से साजिश करके यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है ।

अभियुक्तगण को पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए, विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। उपरोक्त तर्को के समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से निर्णयज विधियॉ उड़ीसा राज्य बनाम श्री ब्रम्हानन्दा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2488, मोदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य फौ0 अपील सं. 14/1973 निर्णीत दिनांक 31.08.1978 (माननीय उच्चतम न्यायालय) प्रस्तुत की गयी हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने उपरोक्त तर्को के सम्बन्ध में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है।

22. मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

23. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सावधानीपूर्वक सूक्ष्मता से विश्लेषण इस आशय से किया गया कि अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप कि अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव ने घटना वाली तिथि, समय व स्थान पर फिरोज़ की सिर में गोली मारकर मृत्यु कारित करने की एक सामान्य नियत बनायी और अपने उक्त सामान्य नियत की पूर्ति में सह अभियुक्तण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय के सहयोग से मृतक फिरोज के उपर जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिये कट्टे से गोली मार कर उसकी हत्या कर दी अथवा नहीं ।

24. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त पूर्ण सन्देह से परे साबित करने में असफल रहता है तो उसका लाभ अभियुक्तगण को मिलेगा। जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट आफ महाराष्ट्रा बनाम डी.एल. राव ए.सी.सी. 2010 (17) पेज 849** में यह अवधारित किया है कि सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही दिया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद विरधीचन्द्र बनाम महाराष्ट्रा राज्य ए.आई.आर 1984 एस.सी. 1622, उ0प्र0 राज्य बनाम सुखवासी 1985 एस.सी.सी. (किमिनिल) 378 आदि** अनेक मामलों में अभियोजन को अपना केस संदेह से परे साबित करना चाहिये। मात्र संदेह उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं है। संदेह कितना भी मजबूत हो सबूत का स्थान नही ले सकता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र संदेह व्यक्त किया गया है, परन्तु अन्य कोई साक्ष्य इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नही है। ऐसी स्थिति में मात्र संदेह के कारण अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना उपयुक्त प्रतीत नही होता है।

25. **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697 में माननीय उच्चतम न्यायालय** ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करें तथा न्यायालय का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथानक है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाय। साथ ही किसी प्रकार की अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उड़ीसा राज्य बनाम बनबिहारी महापात्र व अन्य 2022 (1) जे.आई.सी. पृष्ठ 274 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है,

जब तक वह युक्तियुक्त सन्देह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता।

निष्कर्ष

26. सर्वप्रथम वादी मुकदमा शब्बीर अहमद द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी जनपद मऊ को दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। वादी मुकदमा शब्बीर अहमद जिसे अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, ने तहरीर प्रदर्श क–1 में लिखा है कि प्रार्थी शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 लाल मुहम्मद सा0 मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ का निवासी है। प्रार्थी का भाई फिरोज़ मुर्गे व दाना का कारोबार करता है। आज दिनांक 20.12.2013 को समय करीब 07.30 बजे शाम को मै व मेरे बड़े भाई फिरोज़ व भांजा आसिफ पोल्ट्री फार्म पर मौजूद थे कि उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति ने आवाज़ देकर मेरे भाई को बुलाया। मेरे भाई फिरोज़ तुरन्त उसके पास पहॅुचे कि उक्त अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे भाई को एकाएक गोलियों से सर में मार दिये जिससे मेरा भाई गिर गया। मै तथा मेरा भांजा दौड़कर मौके पर पहॅुचे तो देखा कि दोनों हमलावरों ने अपने हाथ में लिये हुये असलहों को लहराते हुये हम लोगों को भी जान से मारने की धमकियॉ व गालियॉ देते हुये पीछे मुड़ कर भागे जिसको मै तथा मेरा भांजा टार्च की रोशनी में देखे व शोर मचाया, परन्तु उक्त दोनों हमलावर मौके से भाग गये। शोर पर अगल–बगल के तमाम लोग मौके पर आ गये। मै तुरन्त लोगों की मदद से अपने घ ायल भाई फिरोज को इलाज हेतु जिला अस्पताल मऊ ले गया परन्तु रास्ते में ही मेरे भाई की मृत्यु हो गयी। डॉक्टर ने भी मृत्यु घोषित कर दिया है। मेरे भाई की लाश जिला अस्पताल के लाश घर में रखी है। सूचना दे रहा हूॅ, रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

27. वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 20.12.2013 को समय 21.15 बजे थाना घोसी जनपद मऊ में दो व्यक्ति नाम–पता अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 798/2013 धारा 302, 504 व 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–15 किता की गयी, जिसका इन्द्राज थाना स्थानीय की जी.डी. कायमी में रपट सं. 50/21.15 दिनांकित 20.12.2013 पर किया गया जिसकी सेम प्रासेस में तैयार कार्बन प्रति प्रदर्श क–16 के रूप में संलग्न पत्रावली है।

28. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस घटना की सूचना उसने दिनांक 20.12.2013 को तहरीर लिखकर थाने पर दिया जिसके आधार पर एफ.आई.आर. लिखी गयी। साक्षी ने शामिल पत्रावली तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैने ही घटना के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज कराय थी। मैनें रिपोर्ट स्वयं लिखी थी। उसमें घटना के सम्बन्ध में लिखी बातें सही है। हम रात्रि लगभग 08.30 बजे अस्पताल पहॅुचे थे। वह तहरीर मैनें थाने पर जाकर लिखी थी। थाने रात्रि 09.15 बजे पहॅुचे थे तारीख 20.12.2013 थी। फिरोज़ को चाचा की मारूति से अस्पताल लेकर गये थे, उसी गाड़ी से थाने पर गये थे। पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि थाने पर रपट शब्बीर मामा ने लिखवाया था। पी.डब्लू.8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छोटेलाल यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन

किया है कि दिनांक 20.12.2013 को वह बतौर कां0 मोहर्रिर थाना घोसी जनपद मऊ में तैनात था वादी मुकदमा शब्बीर अहमद की मूल तहरीर के आधार पर दो अज्ञात व्यक्ति नाम–पता अज्ञात के विरूद्ध अपराध सं. 798/2013 अंतर्गत धारा 302, 504 व 506 भा.दं.सं. दिनांक 20.12.2013 को समय 21.15 बजे पंजीकृत किया और उसी क्रम में कायमी जी.डी. भी उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया।

29. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 20.12.2013 को समय सांय 07.30 बजे घटित हुई और घटनास्थल से 12 किमी0 दूर स्थित थाना घोसी जनपद मऊ पर समय 21.15 बजे वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद द्वारा तहरीर प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, इस बीच वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद अपने भांजे आसिफ पी.डब्लू.2 के साथ अपने भाई/मृतक फिरोज़ को जिला अस्पताल मऊ गया जहॉ चिकित्सक द्वारा फिरोज़ को मृत घोषित कर दिया गया, इसके पश्चात् वादी/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद द्वारा पौने दो घण्टे के अन्दर थाना स्थानीय पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में वादी मुकदमा शब्बीर अहमद द्वारा किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब कारित नहीं किया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट ससमय व तत्परता से दर्ज करायी गयी है।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपने सशपथ बयान में स्वयं को घटनास्थल पर मौजूद होना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि उन्होनें टार्च की रोशनी में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव को देखा व पहचाना था। इसके बावजूद भी वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद द्वारा घटना के बाबत् तैयार की गयी तहरीर में अभियुक्तगण के नामों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि तहरीर में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई/मृतक फिरोज़ को बुलाया जाना और उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई/मृतक फिरोज़ को एकाएक सिर में गोली मार देने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा/पी. डब्लू.1 शब्बीर अहमद ने तहरीर प्रदर्श क–1 में यह भी उल्लेख किया है कि मै तथा मेरा भांजा दौड़ कर मौके पर पहुॅचे तो देखा कि दोनों हमलावरों ने अपनेहाथ में लिये हुये असलहों को लहराते हुये हम लोगों को भी जान से मारने की धमकियॉ व गालियॉ देते हुये पीछे मुड़कर भागे, जिसको मै तथा मेरा भांजा टार्च की रोशनी में देखे व शोर मचाया, परन्तु दोनों हमलावर मौके से भाग गये।

31. तहरीर में किये गये उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि टार्च की रोशनी में देखने के बाद भी वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद द्वारा तहरीर में अभियुक्तगण के नाम का स्पष्ट उल्लेख न किया जाना यह साबित करता है कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। अभियुक्तगण को वादी मुकदमा/पी.डब्लू.1 द्वारा मौके पर देखा व पहचाना नहीं गया था, मात्र व्यवसायिक दुश्मनी के कारण वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है।

32. इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हत्या जैसे गम्भीर अपराध के चक्षुदर्शी साक्षी का घटना को अपनी ऑखों से देखने के पश्चात् उसे एक सदमा लगना स्वाभाविक है। प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी. डब्लू.2 आसिफ घटनास्थल पर मौजूद थे और घटना को घटित होते अपनी ऑखों से देखे। हत्या जैसे जघन्य अपराध को देखने वाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित होते हैं, ऐसी स्थिति में यदि भय की स्थिति में वह अपराधियों का नाम–पता प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पाते हैं तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के केस पर पड़ेगा।

33. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **रम्मी उर्फ रामेश्वर बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2000 (1) जे.आई.सी. 102 (एस.सी.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि,

8. Such a remark on the conduct of a person who witnessed the murderous attack is least justified in the realm of appreciation of evidence. This Court has said time and again that the post event conduct of a witness varies from person to person. It cannot be a cast-iron reaction to be followed as a model by everyone witnessing such event. Different persons would react differently on seeing any violence and their behaviour and conduct would, therefore, be different. We have not noticed anything which can be regarded as an abnormal conduct of P.W.9 Ram Dulare.–

34. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु वादी मुकदमा शब्बीर अहमद द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी तहरीर में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण, पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 आसिफ जिन्हें घटना घटित होते समय घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है, उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

35. पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके भाई फिरोज की हत्या दिनांक 20.12.2013 को शाम लगभग साढ़े सात बजे हुई थी। उसके भाई फिरोज की हत्या उसके मुर्गी फार्म के गेट के पास हुई थी। प्रदीप चौहान ने अपने साथियों के साथ दिनांक 20.12.2013 को उसके भाई फिरोज के ऊपर एकाएक गालियों से सर में मार उकसी हत्या की थी। वह तथा उसका भांजा आसिफ जब मौके पर पहॅुचे तो देखे कि दो हमलावर हाथ में लिये हुये असलहे को लहराते हुये हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुये व गालियॉ देते हुये पीछे भागे, जिनको वह तथा उसका भांजा आसिफ देखे व पहचाने। अभियुक्त प्रदीप चौहान पर उसके भाई फिरोज का करीब साढ़े तीन लाख उधार हो गया था, उसकी नियत पैसा देने की नहीं थी जिसके कारण प्रदीप चौहान ने अपने साथियों के साथ उसके भाई फिरोज की हत्या कर दी थी। उसने व उसके भांजे आसिफ ने टार्च की रोशनी में मुल्जिमानों को देखा व पहचाना। उन लोगों ने शोर किया तो अगल–बगल के तमाम लोग आ गये। इस घटना के मुल्जिमानों को पहचानता हूँ।

प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने ही घटना के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। उसने रिपोर्ट स्वयं लिखी थी। उसमें घटना के सम्बन्ध में लिखी बातें सही हैं तथा यही बयान उसने दरोगाजी को घटना के सम्बन्ध में दिया था। वही घायल को लेकर अस्पताल गया था। उसके साथ उसका भांजा आसिफ एवं भाभी नूरजहॉ थीं। वे रात्रि लगभग 08.30 बजे अस्पताल पहुॅचे थे। वहॉ डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतक फिरोज को सिर में दो चोटें लगी थीं। लाश को अस्पताल में छोड़कर थाने गये थे, थाने पर वह, उसका भांजा व अन्य दो–तीन लोग गये थे। तहरीर उसने थाने पर जाकर लिखी थी। थाने पर रात्रि 09.15 बजे पहुॅचे थे। फिरोज के पास भाभी व गांव के दो–चार लोग रूके थे। दरोगाजी ने उसी समय उसका बयान नहीं लिया था। घटना के एक दिन बाद उसका बयान लिया था। उसने अपने बयान में दरोगाजी को दो अज्ञात लोगों का हुलिया, मोटर साइकिल की पहचान बताई थी। उसकी तहरीर में है कि भागते हुये अभियुक्तों को टार्च की रोशनी में देखा व पहचाना था। यह बात उसने दरोगाजी को भी बतायी थी, यदि ये बातें दरोगाजी ने नही लिखी तो वह वजह नहीं बता सकता। उसने प्रदीप चौहान का नाम दरोगाजी को बताया था, यदि उन्होनें उसके बयान में प्रदीप का नाम नहीं लिखा तो वह वजह नहीं बता सकता। दरोगाजी घटनास्थल पर दूसरे दिन गये थे। घटना के समय रात नहीं हुई थी, शाम थी, अंधेरा था। सौ कदम तक का आदमी दिख रहा था। उसने दरोगाजी को घटनास्थल दिखाया था। जहॉ वे बैठे थे और जहॉ से मुल्जिमान ने उसे भाई/मृतक को बुलाया था उस स्थान से 15 फिट की दूरी थी। वह अपने भाई के साथ ही दरवाजे पर गया था, भाई थोड़ा आगे था। उसका भाई उससे दस कदम उत्तर दिशा की ओर था, वहीं मुल्जिमान ने उसके भाई को गोली मारी थी। दरोगाजी ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद थाना घोसी पर उनकी शिनाख्त कराई थी। पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की तिथि 20.12.2013 को शाम 07.30 बजे वह तथा उसके मामा फिरोज व शब्बीर मझवारा में अपने मुर्गी फार्म पर मौजूद थे। मुर्गी फार्म के गेट गे बाहर से किसी ने उसके मामा फिरोज को बुलाया। उसके मामा फिरोज गेट के बाहर गये तब तक गोली की आवाज़ सुनाई दी। गोली की आवाज पर वह तथा उसके मामा शब्बीर बाहर गये तो दो व्यक्ति प्रदीप चौहान व धनेश उर्फ मैनू को देखा। धनेश उर्फ मैनू कट्टा लिये हुये थे और प्रदीप चौहान पिस्टल लिये थे। ये लोग उसके मामा को गोली से मारे थे। गोली उसके मामा के सिर पर लगी थी। उनके शोर पर मुल्जिम प्रदीप मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये कहा कि अगर किसी को बताये तो तुम्हें भी मार देगें। पैसे–रूपये को लेकर प्रदीप और मेरे मामा से कहा–सुनी होती थी। इसी रूपये के लेन–देन को लेकर प्रदीप चौहान अपने साथी धनेश उर्फ मैनू के साथ मिलकर उसके मामा फिरोज की गोली मार कर हत्या कर दी। वह तथा उसके शब्बीर मामा फिरोज़ को घायल अवस्था में सदर अस्पताल मऊ ले गये थे तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि उनकी मृत्यु हो गयी है। घटना कारित करने के उपरांत मुल्जिमान उत्तर दिशा में खेत से होते हुये भागे थे। दरोगाजी उससे पूछताछ किये थे। जिरह में इस साक्षी ने बताया है कि घटना के समय उसकी उम्र 20 वर्ष रही होगी। इस मुकदमें मे दो मुल्जिम हैं, प्रदीप चौहान और धनेश उर्फ मैनू। मेरी जानकारी में इनके अलावा और कोई अभियुक्त नहीं है। वह जिन दो अभियुक्तों प्रदीप चौहान

और धनेश उर्फ मैनू का नाम बताया है, उसके अलावा उसकी जानकारी में कोई अन्य अभियुक्त नहीं है। वह घटना के बाद से लगातार थाने तक शब्बीर के साथ रहा। दरोगाजी ने उससे घटना के बारे में घटना के दिन ही पूछा था। घटना के तीन दिन बाद उसका बयान लिया था। **पहले दिन उसने दरोगाजी को किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था, वह डरा हुआ था।** उसने घटना कारित करने वालों में दरोगाजी को दो अभियुक्तों का बताया था उनके नाम प्रदीप चौहान व धनेश उर्फ मैनू था। प्रदीप को चेहरे से पहचानने की बात मैनें दरोगाजी को बतायी थी, अगर उन्होनें उसके बयान में यह बात नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नही बता सकता। घटना में उसे तीन फायर की आवाज़ सुनाई दी थी। मुल्जिमान फायर करते समय उससे पश्चिम दिशा में थे। उसने अपने मामा को उठा कर अपनी मारूती में लादा था। उसके मामा का खून उसके कपड़ों में उठाते समय लगा था। मेरी मारूती में सीट पर खून लगा था। मारूती अस्पताल से थाने में गयी थी। उसकी मारूती थाने में 09. 15 बजे रात में पहुॅची थी।

36. यह सही है कि वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 ने घटनास्थल पर अपने भांजे आसिफ पी.डब्लू.2 के साथ टार्च की रोशनी में अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुये देखने का कथन तहरीर में किया है, परन्तु तहरीर में वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 ने अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के उपरोक्त उपरोक्त दोनों तथ्य के साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इन दोनों तथ्य के साक्षीगण द्वारा न्यायालय में दिये अपने मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा दिनांक 20.12.2013 को सांय 07.30 बजे मृतक फिरोज़ के पोल्ट्री फार्म पर आकर उसे बुलाने, अभियुक्तगण द्वारा बुलाये जाने पर मृतक फिरोज़ को पोल्ट्री फार्म के गेट पर जाने, मृतक के पीछे–पीछे स्वयं को घटनास्थल पर पहुॅचने, अभियुक्तगण द्वारा मृतक फिरोज़ के सिर पर गोली चलाने, अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा शब्बीर एवं भांजे आसिफ को भी जान से मारने की धमकी देने और उनके द्वारा टार्च की रोशनी में अभियुक्तगण को देखने का जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे मात्र इस आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। अपनी ऑखों के सामने अभियुक्तगण को अपने भाई की हत्या करते हुये देखने के कारण घटना के तत्काल बाद वादी मुकदमा का अभियुक्तगण से भयभीत हो जाना स्वभाविक है। पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पहले दिन उसने दरोगाजी को किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था, वह डरा हुआ था। पी.डब्लू.2 आसिफ के प्रति परीक्षा में किये गये इस कथन से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना के कारण वह भयभीत था और इसी कारण उसने घटना के दिन विवेचक को दिये बयान में अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 आसिफ द्वारा दिये गये साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख न किये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

37. जहॉ तक प्रस्तुत प्रकरण में मृतक फिरोज़ को कारित की गयी चोटों का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मृतक फिरोज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परिशीलन किया गया। इस घटना में मारे जाने वाले फिरोज़ की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–14 पत्रावली पर मौजूद है। मृतक फिरोज़ के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ0 अरूण कुमार पाण्डेय पी.डब्लू.7 के रूप में परीक्षित हुये हैं, जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 21.12.2013 को मृतक फिरोज़ के शव का पोस्टमार्टम किये जाने का साक्ष्य देते हुए मृतक के शव की शव विच्छेदन आख्या को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है। इस चिकित्सक की राय में जब उसने पोस्टमार्टम आरम्भ किया तो मृतक की लम्बाई 155 सेमी. थी। शव के पूरे देह में अकड़न मौजूद थी, मृतक औसत कद–काठी का था। उसकी दोनों ऑखें बंद थीं और नाक, मुॅह तथा दाहिने कान से खून बह रहा था। चिकित्सक ने मृतक के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटें पायी :–

1. 1.5 सेमी. X 1 सेमी. ब्रेन कैविटी तक गहरा आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव खोपड़ी के आक्सिपिटल क्षेत्र के मध्य में स्थित था। घाव के किनारे पर लालिमा एवं बाल जले हुये थे तथा इसके किनारे अन्दर की तरफ मुड़े थे।

2. आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 1 सेमी. X 1 सेमी. ब्रेन कैविटी तक गहरा दाहिने तरफ ऑक्सिपिटल क्षेत्र में खोपड़ी पर तथा घाव के किनारे पर लालिमा मौजूद थी तथा उसके किनारे अन्दर की तरफ मुड़े हुये थे।

3. आग्नेयास्त्र का निकास घाव 2 सेमी. X 1.5 सेमी. ब्रेन कैविटी तक गहरा बायें तरफ पेराईटल क्षेत्र में बाईं ऑख के भौंह से 8 सेमी. ऊपर खोपड़ी पर स्थित था, घाव के किनारे बाहर के तरफ थे। उपरोक्त चोट सं. 1, चोट सं.3 से कम्यूनिटी करती है तथा चोट सं.2 से अन्दर जाकर दाहिने ऑक्सिपिटल हड्डी को फ्रैक्चर करते हुये एवं ब्रेन तथा उसके कवरिंग को लैरेटेड करते हुये एवं ब्रेन तथा ललाट पर खोपड़ी स्कल्प के बीच में नाक के रूट से 2 सेमी. ऊपर एक बुलेट फसी हुई थी।

38. शव के आंतरिक परीक्षण में करोट खोपड़ी को ऑक्सिपिटल, पेराईटल, फ्रन्टल हड्डी टूटी हुई थी। दायें और बायें फेफड़े एवं उसकी कवरिंग कन्जेस्टेड था। अमाशय में 300 एम.एल. अर्धपचित खाद्य पदार्थ मौजूद था। छोटी व बड़ी ऑतें अर्धपाचन तरल खाद्य पदार्थ गैसेस मल पदार्थ से भरी हुई थी। प्लीहा एवं दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। मृतक की मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों के द्वारा उत्पन्न कोमा के कारण लगभग एक दिन पूर्व हुई थी। मृतक के खोपड़ी से एक बुलेट निकाली गयी, जिसे सील मुहर बन्द कर पुलिस प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित सिपाहियों को दे दिया गया। इस चिकित्सक साक्षी ने मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों के द्वारा उत्पन्न कोमा के कारण लगभग एक दिन पूर्व होना बताया है। साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव के किनारे ऊपर की तरफ मुड़े हुये थे यह चोट जहॉ लगी थी वहॉ से उसकी दशा तिरछी थी (निकासद्वार), मृतक की खोपड़ी में दो इन्ट्री थी और एक एग्जिट घाव था तथा मारने

वाली बुलट ब्रेन में ब्रेन से मिली बुलेट को पोस्टमार्टम के दौरान रिकवर किया था।

39. पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर में पायी गयी मृत्युपूर्व चोटों के सम्बन्ध में यदि अभियेजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 आसिफ द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान का परिशीलन किया जाये तो पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद पी.डब्लू.–1 ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि प्रदीप ने अपने साथियों के साथ दिनांक 20.12.2013 को उसके भाई फिरोज़ के ऊपर समय करीब 07.30 बजे सांय एकाएक गोलियों से सिर में मार दिया, जिससे उसका भाई गिर गया। तुरन्त लोगों की मदद से अपने भाई फिरोज को इलाज हेतु जिला अस्पताल मऊ ले गया, परन्तु रास्ते में ही उसके भाई की मृत्यु हो गयी। डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मृतक फिरोज को सिर में दो चोटें लगी थीं। यह कहना गलत है कि जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मै बैठा हुआ नहीं था अपने भाई के साथ दरवाजे पर गया था। भाई थोड़ा आगे थे। मेरे भाई मुझसे दस कदम उत्तर दिशा की ओर से थे। वहीं मुल्जिमान ने उन्हें गोली मारी थी। दो गोली मारी थी। गोलियॉ सर पर दो अंगुल की दूरी से मारी थीं। जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मेरे भाई मुल्जिमान से पश्चिम की ओर खड़े थे । मै दरोगाजी को वह स्थान बताया था जहॉ से मुल्जिमान ने गोली मारी थी। पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पैसे रूपये के बताया को लेकर प्रदीप और उसके मामा से कहासुनी होती थी। इसी रूपये के लेने–देन को लेकर प्रदीप चौहान अपने साथी धनेश के साथ मिलकर उसके मामा फिरोज़ को गोली मार कर हत्या कर दी। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना में मुझे तीन फायर की आवाज़ सुनाई दी थी। मुल्जिमान फायर करते समय मुझसे पश्चिम दिशा में थे। अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराये गये पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद एवं पी.डब्लू.2 ने अपने–अपने बयान में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा मृतक के सिर में गोली मारने का साक्ष्य दिया है। पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मुल्जिमान ने उसके भाई/मृतक फिरोज़ को दो गोली मारी थी। इसी प्रकार पी.डब्लू.2 आसिफ ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना में मुझे तीन फायर की आवाज़ सुनाई दी थी। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित पी. डब्लू.4 सर्वजीत गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दक्षिण दिशा से 02 फायर की आवाज़ आयी थी। मृतक के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतनामा के 'चोट' शीर्षक में मृतक के सर में पीछे की तरफ दो चोट होना अंकित किया गया है तथा 'राय पंचान' शीर्षक में यह उल्लेख किया गया है कि सभी ने एक राय से मृतक की मृत्यु गोली मार कर हत्या किये जाने की बात बतायी। मृतक के शव के पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर पायी गयी आग्नेयास्त्र की चोटों तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्यों का समग्र रूप से परिशीलन करने से यह तथ्य साबित हो रहा है कि मृतक फिरोज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर में दो गोली घुसने व एक गोली बाहर निकलने की चोटें पायी गयी है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक पी.डब्लू.7 डॉ0

अरूण कुमार पाण्डेय ने अपने बयान में यह बताया है कि मृतक के सर से उसने एक बुलेट रिकवर किया था। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक की सिर में दो गोली मार कर हत्या की गयी थी। घटनास्थल पर मौजूद पी.डब्लू.1 शब्बीर एवं पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव ने मृतक फिरोज़ के सिर में दो गोली मारी थी। स्वतंत्र साक्षी पी.डब्लू.4 सर्वजीत गुप्ता ने भी कथन किया है कि उसने दो गोलियों की आवाज़ सुनी थी। इस प्रकार पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद, पी.डब्लू.2 आसिफ एवं पी. डब्लू.4 सर्वजीत गुप्ता द्वारा मृतक को चोटें पहुॅचाने के सम्बन्ध में जो घटनाक्रम बताया गया है, उसमें एकरूपता पायी जाती है। मृतक फिरोज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शायी गयी मृत्युपूर्व चोटों की सम्पुष्टि पंचायतनामा प्रदर्श क–2 एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से हो रही है।

40. घटना की तिथि, समय व घटनास्थल के सम्बन्ध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाये तो वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 की निशानदेही पर मामले के विवेचक द्वारा तैयार किया गया नक्शा–नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–3 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें विवेचक ने वह स्थान जहॉ मृतक को गोली मारी गयी उसे 'एक्स' से दर्शाया गया है तथा जहॉ वादी व उसके भाई बैठे थे तथा अभियुक्तों के बुलाने पर मृतक उठ कर आया था, उस स्थान को 'ए' से दर्शाया गया है तथा तीर के निशान से अभियुक्तगण के पीछे मुड़ कर भागने का रास्ता दर्शाया गया है। नक्शा–नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–3 के परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा एवं मृतक मुर्गी फार्म के दक्षिण स्थित कमरे में 'ए' स्थान पर बैठे थे और जब अभियुक्तगण 'ए' स्थान के उत्तर तरफ मुर्गी फार्म के गेट पर आकर मृतक को बुलाते हैं तो मृतक 'ए' स्थान से उठकर अपने उत्तर तरफ मुर्गी फार्म के गेट पर गया तथा मुर्गी फार्म के गेट से थोड़ा पश्चिम कच्चे रास्ते पर गया जहॉ 'एक्स' स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा मृतक फिरोज़ की गोली मार कर हत्या कर दी गयी। इसके पश्चात् अभियुक्तगण पश्चिम की ओर पीछे मुड़ कर कच्चे रास्ते से उत्तर की तरफ भाग गये।

41. वादी/पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद ने तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना घटित होने का समय दिनांक 20.12.2013 को समय शाम 07.30 बजे होना बताया है तथा घटनास्थल अपने भाई/मृतक फिरोज़ का मुर्गी फार्म होना बताया है। तहरीर में यह भी कथन किया गया है कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने आवाज़ देकर उसके भाई को बुलाया। उसके भाई फिरोज़ तुरन्त उनके पास पहुॅचे कि उक्त अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई को एकाएक गोलियों से सर में मार दिया जिससे उसका भाई गिर गया। वादी मुकदमा शब्बीर अहमद की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना स्थानीय पर किता की गयी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–15 में घटनास्थल ग्राम मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ, घटनास्थल से थाने की दूरी लगभग 12 किमी0 पूरब होना अंकित है। वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डबलू.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तिथि, समय व स्थान के सम्बन्ध में

साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.12.2013 को समय करीब 07.30 बजे रात में वह और उसका बड़ा भाई फिरोज (मृतक) एवं उसका भांजा आसिफ पोल्ट्री फार्म पर मौजूद थे। प्रदीप चौहान पर उसके भाई फिरोज़ का करीब साढ़े तीन लाख रूपया उधार हो गया था, उसकी नियत पैसा देने की नहीं थी, जिसके कारण प्रदीप ने अपने साथियों के साथ दिनांक 20.12.2013 को उसके भाई फिरोज़ के ऊपर समय करीब 07.30 बजे सांय एकाएक गोलियों से सिर में मार दिया, जिससे उसका भाई गिर गया। वह तथा उसका भांजा मौके पर पहुॅचे तो देखे कि दो हमलावर हाथ में लिये हुये असलहे को लहराते हुये इन लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुये व गालियॉ देते हुये पीछे भागे, जिनको वह और उसका भांजा आसिफ टार्च की रोशनी में देखा व पहचाना। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि थाने पर मै 09.15 बजे पहुॅचा था और साढ़े सात बजे की घटना है। घटना के समय मै फार्म पर ही मौजूद था। मुर्गी फार्म के उत्तर मेरा मकान है। मै और मेरा भाई/मृतक घटना के समय साथ–साथ मुर्गी फार्म पर बैठे थे। हम लोग पूरब ओर फार्म में बने आफिस में बैठे थे। घटना के समय रात नहीं हुई थी, शाम थी अंधेरा था। चन्द्रमा नहीं हुआ था। सौ कदम तक का ही आदमी दिख रहा था। बदमाशा के आने की दिश हमने नहीं देखी थी। हमारे बैठने के स्थान से उत्तर ओर से बदमाशों ने मेरे भाई/मृतक को बुलाया था। जहॉ हम बैठे थे और जहॉ से मुल्जिमान ने मेरे भाई/मृतक को बुलाया था वह स्थान 15 फिट दूर था। यह कहना गलत है कि जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मै बैठा हुआ नहीं था। वह अपने भाई के साथ ही दरवाजे पर गया था। भाई थोड़ा आगे थे। उसका भाई/मृतक उससे दस कदम उत्तर दिशा की ओर था। वहीं मुल्जिमान ने उन्हें गोली मारी थी। दो गोली मारी थी। गोलियॉ सर पर दो अंगुल की दूरी से मारी थी। जब मुल्जिमान ने मेरे भाई को गोली मारी तो मेरे भाई मुल्जिमान से पश्चिम की ओर खड़े थे। मै दरोगाजी को वह स्थान बताया था जहॉ से मुल्जिमान ने गोली मारी थी। मैनें दरोगाजी को वह स्थान भी बता दिया जहॉ मेरे भाई खड़े थे, जब उन्हें गोली मारी गयी। पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 20.12.2013 को समय 07.30 बजे शाम की है। वह तथा उसके मामा फिरोज व शब्बीर मझवारा में अपनी मुर्गी फार्म पर मौजूद थे। घटना के दिन करीब 07.30 बजे शाम को मुर्गी फार्म के गेट के बाहर किसी ने उसके मामा फिरोज़ को बुलाया। उसके मामा फिरोज़ गेट के बाहर गये तो दो व्यक्ति प्रदीप व धनेश को देखा। धनेश कट्टा लिये हुये थे और प्रदीप पिस्टल लिये थे। ये लोग उसके मामा को गोली से मारे थे, गोली उसके मामा के सिर पर लगी थी। घटना कारित करने के उपरांत मुल्जिमान उत्तर दशिा में खेत से होते हुये भाग गये थे। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान फायर करते समय मुझसे पश्चिम दिशा में थे। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये पी.डबलू.4 सर्वजीत गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 20.12.2013 शाम 07.30 बजे की है। वह तथा श्यामप्रीत मौर्य दोनों लोग खेत देखते हुये नहर पर शौच करने गये थे। वे लोग शौच कर रहे थे कि दक्षिण दिशा से दो फायर की आवाज़ आयी थी। वे लोग नहर की पटरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि दक्षिण दिशा से दो व्यक्ति भागते हुये आ रहे थे। श्यामप्रीत ने टॉर्च जलाया तो देखा कि प्रदीप व धनेश आ रहे थे और खड़ी मोटर साइकिल को स्टार्ट किये और

पूरब दिशा की ओर चले गये। आवाज़ के तुरन्त बाद भागते हुये था। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मै मुल्जिमान को पहले से जानता–पहचानता था। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर तैयार किये गये नक्शा–नजरी प्रदर्श क–3 में मृतक का अपने मुर्गी फार्म पर बने ऑफिस/कमरे में बैठने, अभियुक्तगण द्वारा बुलाने पर उस ऑफिस/कमरे से उठ कर मुर्गी फार्म के गेट पर जाने, अभियुक्तगण द्वारा मृतक को गोली मारने तथा गोली मारने के पश्चात् वहॉ से भागने का जो विवरण अंकित किया गया है, उसकी सम्पुष्टि अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद, पी.डब्लू.2 आसिफ एवं पी.डब्लू.4 सर्वजीत गुप्ता द्वारा दिये गये बयान से पूर्णतया हो रही है। बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण से विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है, परन्तु इन साक्षियों से की गयी विस्तृत प्रति परीक्षा में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य एवं विरोधाभास नहीं लाया जा सका है, जिससे विवेचक द्वारा तैयार किये गये घटनास्थल के नक्शा–नजरी एवं उपरोक्त साक्षीगण द्वारा घटनास्थल तथा घटना के समय व स्थान के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्य पर कोई सन्देह उत्पन्न हो।

42. अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के हेतुक (Motive) के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा शब्बीर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद, पी.डब्लू.2 आसिफ एवं पी.डब्लू.3 इजाजत हुसैन ने न्यायालय के समक्ष दिये सशपथ साक्ष्य में घटना के हेतुक को पूर्णतया स्पष्ट एवं साबित किया है। पी.डब्लू.3 इजाजत हुसैन मृतक फिरोज़ का सगा भाई है, यद्यपि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित किया है कि अभियुक्त प्रदीप चौहान ने मृतक फिरोज़ को उधार में दिये गये सामान के पैसे मांगने पर मृतक को देख लेने की धमकी दिया था और इसी उधार की रकम को न चुकाना पड़े इसलिये अभियुक्त प्रदीप चौहान ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक फिरोज़ की हत्या किया है।

43. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क के खण्डन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से जो रोकड़ बही प्रस्तुत की गयी है उस पर अभियुक्त प्रदीप चौहान का कोई हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह साबित नहीं हो रहा है कि मृतक फिरोज का कोई पैसा अभियुक्त प्रदीप चौहान के ऊपर उधार या बाकी था। कथित रोकड़ बही मुकदमें को बल देने के लिये फर्जी तौर से तैयार की गयी है। कथित रोकड़ी बही की कोई विश्वसनीयता नहीं है और इसके आधार पर अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।

44. घटना के हेतुक (Motive) के सम्बन्ध में पी.डब्लू.3 इजाजत हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके भाई फिरोज़ अहमद (मृतक) घटना के बहुत पहले से मुर्गी फार्म चलाते थे, जिसमें मुर्गी, मुर्गे, मुर्गी के बच्चे तथा मुर्गी फार्म से सम्बन्धित दवाईयॉ व दाना बेचने का धंधा करते थे। वह भी अपने भाई के मुर्गी फार्म पर आता–जाता व साथ में उनके कार्यो में हाथ बटाता था। अभियुक्त प्रदीप चौहान को वह घटना से पहले से जानता–पहचानता था। अभियुक्त प्रदीप चौहान भी मुर्गी फार्म चलाता था व उसके भाई के फार्म हाउस से मुर्गी के बच्चे व दवाईयॉ तथा दाना उधार ले

जाता था, जिसका लेखा–जोखा उसके भाई अपने रोकड़ बही में लिखते–पढ़ते थे। रोकड़ बही के पेज सं. 106 व 107 पर उसके द्वारा उधार ले जाने के सम्बन्ध में पैसे के लेन–देन का उल्लेख उसके भाई ने किया था। उस डायरी में अभियुक्त प्रदीप चौहान पर एक लाख पिच्चानबे हजार छः सौ रूपये उसके भाई फिरोज द्वारा बाकी लिखा गया था। इस रोकड़ बही में 23.05.2013 तक का हिसाब उसके भाई फिरोज़ द्वारा अंकित है। इसके अलावा लेन–देन दूसरे बही में अंकित है। दूसरी रोकड़ बही जो दिनांक 12.10.2012 से शुरू है, के पृष्ठ सं. 176 पर पीछे वाला व दिनांक 10.12.2013 तक का कुल हिसाब प्रदीप चौहान के यहॉ कुल बकाया आठ लाख ग्यारह हजार सात सौ पन्चानबे रूपया बकाया है। घटना के दो–तीन दिन पहले इसी पैसे के लेन–देन को लेकर प्रदीप व उनके गोल वाले धनेश, राजेश, मनीष पाण्डेय व पिन्टू से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये लोग देख लेने की धमकी दिये थे। इस साक्षी ने न्यायालय में अपने भाई फिरोज़ के हस्तलेख की मूल रोकड़ बही की फोटोप्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर न्यायालय में दाखिल किया है जो पत्रावली पर प्रदर्श क–2 कागज सं. 71ख/1 ता 71ख/4 है, जिस पर साक्षी ने अपने भाई/मृतक फिरोज़ के हस्तलेख की पहचान किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घ टना स्वयं अपनी ऑखों से नहीं देखा था, परन्तु उसने विवेचक को यह बात बताया था कि घटना के दो–तीन दिन पहले प्रदीप चौहान व उसके गोल के लोगों का भाई/मृतक से लेन–देन को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें इन लोगों ने देख लेने की धमकी दी थी। जो डायरी मैने पेश किया है उसके बारे में मै विवेचक को बताया था। घटना के तुरन्त बाद मैनें नहीं बताया था, दो–चार दिन बाद बताया था। घटना के दो दिन पहले अभियुक्तगण ने जब मेरे भाई को देख लेने की धमकी दिया था, उस समय मै था। राजेश यादव से घटना से पहले मेरे भाई से मुलाकात ही नही हुई थी और न ही उसने मेरे भाई को देख लेने की धमकी दिया था। बही खाते पर विक्रेता की दस्तखत नहीं होती थी न तो क्रेता की कोई दस्तखत होती थी। वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 ने घटना के हेतुक के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म पहले से लखनी मुबारकपुर में था, जिससे काफी पैसों का लेन–देन चलता था। इसका मुर्गी फार्म कुछ दिन पहले जल गया था। उसके पास मृतक फिरोज़ अहमद का करीब डेढ़–पौने दो लाख रूपया बाकी था। करीब 06 महीने पहले लखनी मुबारकपुर में प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म जल गया था, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ था। प्रदीप चौहान ने काफी रो–गिड़गिड़ा कर उसके भाई फिरोज़ से काफी पैसों का मुर्गी चूजा व दवाई उधार ले गया। प्रदीप चौहान पर उसके भाई फिरोज का करीब साढ़े तीन लाख रूपया उधार हो गया था, उसकी नियत पैसा देने की नहीं थी, जिसके कारण प्रदीप ने अपने साथियों के साथ दिनांक 20.12.2013 को उसके भाई फिरोज के ऊपर समय करीब 07.30 बजे सांय एकाएक गोलियॉ सिर में मार दिया। इस सम्बन्ध में पी.डब्लू.2 आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रदीप चौहान का लखनी में मुर्गी फार्म था, वहॉ पर मुर्गियों का दावा और मुर्गी के बच्चे उसके मामा फिरोज़ देते थे। प्रदीप चौहान के मुर्गी के फार्म पर आग लग गया, सारी मुर्गियॉ मर गयी, तब उसने दूसरा मुर्गी फार्म अपने गॉव पर खोला था और उसके मामा से मुर्गी, दाना व मुर्गियों के बच्चे ले जाते थे, जिसका पैसा बाकी था। पैसे रूपये के बकाया को लेकर

प्रदीप और उसके मामा से कहा सुनी होती थी। इसी रूपये के लेन–देन को लेकर प्रदीप चौहान अपने साथ धनेश के साथ मिलकर उसके मामा फिरोज़ को गोली मार कर हत्या कर दिये। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित सर्वजीत गुप्ता पी.डब्लू.4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म लखनी में है, वह अक्सर फिरोज़ की दुकान से मुर्गी का चारा ले जाते थे। फिरोज़ के साथ अक्सर आते–जाते थे।

45. घटना के हेतुक (Motive) के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म लखनी मुबारकपुर में है। अभियुक्त प्रदीप चौहान अपने मुर्गी फार्म के लिये, दाना, चूजें, दवाईयॉ आदि मृतक फिरोज़ से खरीदता था। कुछ दिन पहले अभियुक्त प्रदीप चौहान के मुर्गी फार्म में आग लग जाने से उसका काफी नुकसान हुआ था। अभियुक्त प्रदीप चौहान का मृतक फिरोज के ऊपर काफी उधार हो गया था और दोनों के बीच लेन–देन का विवाद होने लगा। इसी क्रम में घटना के दो–तीन दिन पहले अभियुक्त प्रदीप चौहान व उसके गोल के लोगों द्वारा मृतक फिरोज को देख लेने की धमकी दी थी और उधार का पैसा न चुकाना पड़े इस वजह से अभियुक्त प्रदीप चौहान ने अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू यादव के साथ मिलकर फिरोज़ की गोली मार कर हत्या कर दिया। घटना के मोटिव के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित स्वतंत्र साक्षी सर्वजीत गुप्ता पी.डब्लू.4 ने भी अपने बयान में यह बताया है कि प्रदीप चौहान का मुर्गी फार्म लखनी में है, वह अक्सर फिरोज़ की दुकान से मुर्गी का चारा ले जाते थे। फिरोज़ के साथ अक्सर आते–जाते थे। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना के हेतुक के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्य की सम्पुष्टि हो रही है। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना के हेतुक के सम्बन्ध में स्वभाविक एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रख है। इन सभी साक्षीगण से बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का हेतुक किसी प्रकार से अविश्वसनीय प्रतीत होता हो।

46. जहॉ तक अभियुक्तगण के पास बरामद किये गये असलहों एवं घटना में उनके प्रयुक्त होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–17 चिक एफ.आई.आर. के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.12.2013 को समय 10.15 बजे दिन में प्रभारी निरीक्षक हवलदार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा अपने हमराहियान से साथ मुखबिर की सूचना पर तीन मोटर साइकिलों पर सवार चार नफर अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव की निशानदेही पर प्रस्तुत प्रकरण में मृतक फिरोज की हत्या में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी की गयी है और फर्द गिरफ्तारी एवं बरामदगी तैयार किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना घोसी जनपद मऊ पर मु.अ.सं. 801/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम प्रदीप चौहान एवं मु.अ.सं. 802/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम धनेश उर्फ मैनू यादव पंजीकृत किया गया। प्रस्तुत मामले में दिनांक 21.12.2013 को घटनास्थल से एक अदद खोखा

कारतूस 303 बोर व एक मिस कारतूस 7.65 एम.एम. बोर की बरामदगी की गयी थी। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर से एक बुलेट 7.65 एम.एम. भी बरामद हुई है। अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव की निशानदेही से बरामद किये गये एक अदद तमंचा 303 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस तथा एक अदद पिस्टल 32 बोर (7.65 एम.एम.) व दो अदद कारतूस 7.65 एम.एम., घटनास्थल से बरामद किये गये कारतूस एवं मृतके शरीर से प्राप्त की गयी बुलेट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ परीक्षण हेतु भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गये मृतक के शरीर में दौरान पोस्टमार्टम पायी गयी बुलेट एवं अभियुक्तगण द्वारा बरामद कराये पिस्टल, कट्टा, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट कागज सं. 60क के अनुसार परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये माल मुकदमाती को खोलने पर दो सर्वमुहर डिब्बों, एक सर्वमुहर बण्डल एवं एक सर्व मुहर लिफाफा प्राप्त हुआ। **(ए)** एक सर्वमोहर बण्डल प्राप्त हुआ जिस पर समान नं0 1 की महरे लगी हं तथा इस बण्डल पर मु.अ.सं. 798/2013 थाना घोसी जनपद मऊ बनाम प्रदीप चौहान आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक–एक चला कारतूस .303 बोर ओ.के. का तथा एक 7.65 एम.एम. के.एफ. का भरा/मिसफायर कारतूस प्राप्त हुआ। चले कारतूस को ई.सी.–1 से तथा भरे कारतूस को एल.सी.–1 से चिन्हित किया गया। **(बी)** एक सर्वमोहर डिब्बा प्राप्त हुआ जिस पर समान नं0 6 की मुहरें लगी हैं तथा इस डिब्बे पर मु.अ.सं. 801/2013 थाना घोसी जनपद मऊ बनाम प्रदीप चौहान आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक पिस्टल तथा दो 7.65 एम.एम. बोर के.एफ. के जिन्दा/भरे कारतूस प्राप्त हुये, जिन्हें क्रमशः 1/2015 से तथा एल.सी.–3 व एल.सी.–2 से चिन्हित किया गया है। (सी) एक सर्व मोहर डिब्बा प्राप्त हुआ जिस पर समान नं0 6 की मुहरें लगी हैं तथा इस डिब्बे पर मु.अ.सं. 802/2013 थाना घोसी मऊ बनाम धनेश उर्फ मैनू यादव आदि लिखा है। इसके खोलने पर एक देशी पिस्टल . 303 बोर ओ.के. का चला कारतूस तथा दो .303 बोर के ओ.के. के जिन्दा/भरे कारतूस प्राप्त हुये जिन्हें क्रमशः 2/2015 से ई.सी.–2 से तथा एल.सी.–4 व एल.सी.–5 से चिन्हित किया गया है। **(डी)** एक सर्वमोहर लिफाफा प्राप्त हुआ जिस पर सामान नं0 4 की मुहरें लगी हैं इस लिफाफे पर पोस्टमार्टम सं. 374/2013 21.12.2013 मृतक फिरोज़ आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक सर्वमोहर बण्डल प्राप्त हुआ जिस पर समान नं0 4 की मुहरें लगी हैं तथा इस बण्डल पर पोस्टमार्टम सं. 374/2013 21.12.2013 मृतक फिरोज आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक 7.65 एम.एम. की चली बुलेट प्राप्त हुई जिसे ई.बी.–1 से चिन्हित किया गया। **निरीक्षण** विवादित 7.65 एम.एम. पिस्टल व देशी पिस्टल चिन्हित 1/2015 व 2/2015 की नाल से अलग–अलग प्राप्त फाउलिग मैटर का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकैमिकल परीक्षण किया गया। माइक्रोकैमिकल परीक्षण में विवादित 7.65 एम.एम. पिस्टल व देशी पिस्टल चिन्हित 1/2015 व 2/2015 की नाल में अलग–अलग फायरिंग के अवशेष नाइट्राईट, कॉपर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी। विवादित 7.65 एम.एम. पिस्टल व देशी पिस्टल चिन्हित 1/2015 व 2/2015 द्वारा क्रमशः 7.65 एम.एम. व .303 बोर के दो–दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये। कारतूसों को टी.सी.–1 व टी.सी.–2 तथा टी.सी.–3 व टी.सी.–4 से चिन्हित किया गया। 7.65 एम.एम. की

परीक्षार्थ चली बुलेट भी रिकवर की गयी जिन्हें टी.बी.–1 व टी.बी.–2 से चिन्हित किया गया है। विवादित/परीक्षार्थ कारतूसों/बुलेट्स पर उपस्थित चिन्हों का निरीक्षण हैण्डमैग्नीफायर/सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किया गया। **परीक्षण परिणाम (1)** विवादित 7.65 एम.एम. पिस्टल व देशी पिस्टल चिन्हित 1/2015 व 2/2015 की नाल में अलग–अलग फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कॉपर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी। **(2)** विवादित .303 बोर कारतूस चिन्हित ई.सी.–1 व ई.सी.–2 विवादित देशी पिस्टल चिन्हित 2/2015 द्वारा चलाया गया है। **(3)** विवादित 7.65 एम.एम. बुलेट चिन्हित ई.बी.–1 की तुलना 7.65 एम.एम. पिस्टल चिन्हित 1/2015 से करने हेतु व्यक्तिगत विशेषतायें नहीं पायी गयीं।

47. अभियोजन की ओर से इस सत्र वाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई ऐसी रिपोर्ट इस न्यायालय में दाखिल नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण से बरामद पिस्टल व कट्टा क्या वास्तव में आग्नेयास्त्र के रूप में प्रयोग किये जाने योग्य था अथवा नहीं। इस मुकदमें के विवेचक और निरीक्षक हवलदार सिंह पी.डब्लू.5 ने अपने मौखिक साक्ष्य में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू द्वारा बरामद कराया गया पिस्टल व कट्टा चालू हालत में था और उसने स्वयं उस पिस्टल व कट्टे से फायर करके उस पिस्टल व कट्टे के चालू हालत में होने के तथ्य को पुष्ट किया हो। मामले के विवेचक/निरीक्षक हवलदार सिंह पी.डब्लू.5 ने प्रतिपरीक्षा के स्तर पर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये माल मुकदमाती पिस्टल व कट्टा को देखकर बताया कि दोनों मुर्ची हालत में हैं मै इस समय रिटायर हो चुका हूँ, जंग लगा है इसलिये चला नही पाऊँगा। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से यह साबित नहीं कर सका है कि जिन असलहों को अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद किया जाना बताया गया है, वे असलहे घटना के समय घटना चालू हालत में थे अथवा नहीं साथ ही क्या उन्हीं असलहों से घटना कारित की गयी थी अथवा नहीं। सत्र परीक्षण सं. 238/2014 स्टेट बनाम प्रदीप चौहान की पत्रावली पर मु.अ.सं. 801/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ में मामले में अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा प्रदान किया गया अभियोजन स्वीकृति आदेश उपलब्ध है, परन्तु इसे अभियोजन की ओर से किसी विश्वसनीय साक्षी को परीक्षित कराकर साबित नहीं कराया गया है। इसी प्रकार सत्र परीक्षण सं. 239/2014 स्टेट बनाम धनेश उर्फ मैनू यादव की पत्रावली पर मु.अ.सं. 802/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ के मामले में भी अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा प्रदान किया गया अभियोजन स्वीकृति आदेश उपलब्ध है, परन्तु इसे भी अभियोजन की ओर से किसी विश्वसनीय साक्षी को परीक्षित कराकर साबित नहीं कराया गया है। यह सही है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के पास से बरामद किये गये असलहों के सम्बन्ध में पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु इतने मात्र से अभियोजन कथानक पूर्णतया सन्देह से परे साबित नहीं हो जाता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तिथि, समय, घटनास्थल, घटना कारित किये जाने के समय, स्थान, घटना घटित होते समय अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति, मृतक फिरोज के शरीर पर आग्नेयास्त्र की चोटों के वर्णन एवं पोस्टमार्टम के दौरान मृतक

के शरीर पर आयी चोटें के वर्णन, घटना का हेतुक आदि के सम्बन्ध में जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह पूर्णतया विश्वसनीय है और मात्र कथित बरामदशुदा असलहों के विश्वसनीय रूप से अभियोजन द्वारा साबित न कराये जाने मात्र से अभियोजनक कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. **धारा 147 भा.दं.सं. – बल्वा करने के लिये दण्ड –** जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

49. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 147 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव के विरूद्ध धारा 147 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त पिन्टू यादव की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध इस आपराधिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। वर्तमान में इस आपराधिक वाद में धारा 147 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय का विचारण किया जा रहा है।

50. अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में घटित घटना में अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय की भूमिका एवं संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षी द्वारा अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय को घटना घटित होते समय अथवा घटना घटित होने के पूर्व या पश्चात् अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बल्वा करने का साक्ष्य नहीं दिया है। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

51. **धारा 148 भा.दं.सं. – घातक आयुध से ससज्जित होकर बल्वा करना –** जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुये बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

52. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 148 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध धारा 148 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक

साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा पिस्टल एवं कट्टा जैसे घातक हथियार से सज्जित होकर उन्हें आक्रामक रूप से इस प्रकार से मृतक फिरोज पर गोली चलाकर प्रयोग किया गया, जिससे मृतक की मृत्यु होना सम्भाव्य थी। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 148 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित कर पाने में पूर्णतया सफल रहा है।

53. **धारा 302 – हत्या के लिये दण्ड –** जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

54. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव के विरूद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त पिन्टू यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध इस आपराधिक वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी। वर्तमान में इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय का विचारण किया जा रहा है। वादी मुकदमा शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 के भाई फिरोज़ की सर में गोली मार कर हत्या किये जाने की घटना के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी तथ्य के साक्षीगण, पी.डब्लू.1 शब्बीर अहमद, पी.डब्लू.2 आसिफ, पी.डब्लू.3 इजाजत हुसैन एवं पी.डब्लू.3 सर्वजीत गुप्ता ने अपने सशपथ साक्ष्य में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा मृतक फिरोज़ की हत्या कारित करने के सम्बन्ध में विश्वनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषण में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू द्वारा मृतक फिरोज की सर में गोली मार कर हत्या किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, किसी भी साक्षी ने अन्य सह अभियुक्तगण राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) द्वारा मृतक फिरोज की हत्या किये जाने अथवा मृतक फिरोज़ की हत्या में संलिप्त होने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य से सभी चारों साक्षियों ने मृतक फिरोज़ की हत्या किये जाने में मात्र अभियुक्तगण प्रदीप चौहान तथा धनेश उर्फ मैनू यादव की भूमिका एवं संलिप्तता को साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 302/149 भा. दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है। यद्यपि अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 302/149 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित कर पाने में पूर्णतया सफल

रहा है।

55. धारा 504 भा.दं.सं. – लोक–शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

56. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 504 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध धारा 504 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया।

57. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा इस आशय से घटनास्थल पर मौजूद मृतक फिरोज़, उसके भाई/वादी शब्बीर अहमद पी.डब्लू.1 एवं मृतक के भांजे आसिफ पी.डब्लू.2 को इस आशय से अपमानित करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वे लोग प्रकोपित हों और प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग करें या कोई अन्य अपराध कारित करें। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी तथ्य के साक्षीगण ने न्यायालय में दिये अपने विश्वसनीय साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह साबित किया है कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव आग्नेयास्त्र से लैस होकर मृतक फिरोज के मुर्गी फार्म पर आये, उन्होनें मृतक को बुलाया और जब मृतक उनके पास गया तो अभियुक्तगण ने अपने हाथ में लिये आग्नेयास्त्र से फायर कर फिरोज की हत्या कर दिया। इस प्रकरण के पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तगण द्वारा मृतक अथवा उसके भाई शब्बीर अहमद एवं उसके भांजे आसिफ को अपमानित या प्रकोपित करने का कोई तथ्य अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 504 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

58. धारा 506 भा.दं.सं. – आपराधिक अभित्रास के लिये दण्ड – जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों मे से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

59. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध धारा 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया

गया।

60. प्रस्तुत प्रकरण के पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा मृतक अथवा उसके भाई शब्बीर अहमद एवं उसके भांजे आसिफ के विरूद्ध आपराधिक अभित्रास कारित करने का कोई तथ्य अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं हुआ है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षी ने ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 506 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

61. **धारा 120बी – आपराधिक षडयंत्र का दण्ड –** (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दण्ड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं हो, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

62. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियुक्तगण प्रदीप चौहान, धनेश उर्फ मैनू यादव, राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) की घटना में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण राजेश यादव, मनीष पाण्डेय एवं पिन्टू यादव (अब मृतक) के विरूद्ध धारा 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त पिन्टू यादव की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध इस आपराधिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। वर्तमान में इस आपराधिक वाद में धारा 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय का विचारण किया जा रहा है।

63. अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में घटित घटना में अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय की भूमिका एवं संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षी द्वारा अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय को घटना कारित करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्तुत प्रकरण में घटित घटना में अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक षडयंत्र कारित किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 120बी भा.दं.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

64. जहॉ तक अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा

3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत विरचित आरोपों का सम्बन्ध है। इस आपराधिक वाद में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पूर्णतया विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव अवैध असलहे से लैस होकर आये। अभियुक्त प्रदीप चौहान के हाथ में पिस्टल तथा अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू यादव के हाथ में कट्टा था। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में लिये असलहे से मृतक फिरोज के सिर में गोली मार कर उसकी हत्या की गयी। मृतक फिरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर के पिछले हिस्से में दो फायरआर्म इन्ट्री की चोटें तथा एक इग्जिट की चोट मौजूद होना पाया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक फिरोज के सिर से पिस्टल की एक बुलेट 7.65 एम.एम. बोर की बरामद हुई है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद किये गये असलहे एवं कारतूसों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ भेजा गया था, जहॉ से प्राप्त बैलेस्टिक परीक्षण रिपोर्ट में बरामद किये गये असलहों से फायर होना बताया गया है, परन्तु मृतक के सिर से निकली बुलेट 7.65 एम.एम. एवं अभियुक्तगण की निशानदेही से बरामद पिस्टल में समान विशेषतायें नहीं पायी गयी हैं। अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के स्वीकृति आदेश को अभियोजन द्वारा किसी विश्वसनीय साक्षी को प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है। इन तकनीकी आधारों पर यह न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विरूद्ध लगाया गया आरोप अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम सभी युक्तियुक्त सन्देहों से परे साबित होना नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में सन्देह का लाभ देते हुये अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

65. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों के उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव धारा 504 व 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय धारा 147, 302/149 एवं 120बी भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

66. अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव धारा 148 व 302/149 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राजेश यादव एवं मनीष पाण्डेय धारा 147, 302/149 एवं 120बी भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव धारा 504 व 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव धारा 148 व 302/149 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

दोषी अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव जमानत पर हैं, उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दोषी अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 25.07.2026 को पेश हो।

(**संजय कुमार यादव–III**)
जे.ओ.कोड–यू.पी.2023
सत्र न्यायाधीश
मऊ।

दिनांकः 23.07.2026

आज यह निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**संजय कुमार यादव–III**)
जे.ओ.कोड–यू.पी.2023
सत्र न्यायाधीश
मऊ।

दिनांकः 23.07.2026

दिनांकः 25.07.2026

पत्रावली आज दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव जिला कारागार मऊ से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

सजा के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उन्हें किसी अन्य मामले में पूर्व में दोषसिद्ध ही किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण बहुत कम पढ़े लिखे हैं तथा बहुत ही कम आय अर्जित करने वाला व्यक्ति हैं। खेती–बाड़ी करके अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। दोषसिद्ध अभियुक्तगण अपने परिवार का भरण–पोषण करने वाले एकमात्र सदस्य हैं, पूरे परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी उन्ही के ऊपर है। दोषसिद्ध अभियुक्त प्रदीप चौहान की आयु लगभग 36 वर्ष है तथा दोषसिद्ध अभियुक्त धनेश उर्फ मैनू यादव की आयु लगभग 40 वर्ष है। यह उनका यह प्रथम अपराध है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति, आयु व उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनको कम से कम सजा से दण्डित किए जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने तर्क दिया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से अपराध कारित किया गया और मृतक को करीब से सिर पर गोली मार कर उसकी हत्या कारित की गयी है। ऐसे अपराधियों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किए जाने की याचना की गई।

उभय पक्षों के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया।

सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव द्वारा वादी मुकदमा शब्बीर अहमद के भाई फिरोज़ के सिर पर करीब से गोली मार कर उसकी हत्या की गयी है और घटना कारित कर दोषसिद्धगण मौके से भाग गये। प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

1– दोषसिद्धगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं रूपया 25,000/– (रूपया पच्चीस हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

2– दोषसिद्धगण प्रदीप चौहान एवं धनेश उर्फ मैनू यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा

148 के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

3– दोषसिद्धगण की उपरोक्त दोनों सजायें साथ–साथ चलेगीं।

4– दोषसिद्धगण द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में कारागार में बितायी गयी अवधि, उनको दी गयी सजा में समायोजित की जायेगी।

5– दोषसिद्धगण का सजायाबी वांरट अविलम्ब तैयार कर उन्हें सजा भुगतने हेतु जिला कारागार मऊ भेजा जाय।

6– दोषसिद्धगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाय।

7– निर्णय एवं आदेश की एक प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट मऊ को प्रेषित की जाये।

8– इस निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण सं. 238/2014 स्टेट बनाम प्रदीप चौहान एवं सत्र परीक्षण सं. 239/2014 स्टेट बनाम धनेश उर्फ मैनू यादव की पत्रावली में रखी जाये।

(**संजय कुमार यादव–।।।**)
जे.ओ.कोड–यू.पी.2023
सत्र न्यायाधीश
मऊ।

दिनांकः 25.07.2026

आज यह निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**संजय कुमार यादव–।।।**)
जे.ओ.कोड–यू.पी.2023
सत्र न्यायाधीश
मऊ।

दिनांकः 25.07.2026